वार्षिक 300/- रूपए
website : www.vhp.org

मूल्य 15 रूपए
कुल पृष्ठ - 28

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

हिन्दू विश्व

मई 01-15, 2025

राम का प्रमाण चाहिए पर वक्फ वाले कागज कहाँ से लायेंगे?

~सर्वोच्च न्यायालय।

@eHinduVishwa
/HinduVishwa

त्र्यम्बकेश्वर स्थित फरशीवाले बाबा के आश्रम में पूज्य संतों से संवाद करते विहिप अध्यक्ष मा. आलोक कुमार जी

नासिक में रामोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित संत मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते विहिप अध्यक्ष मा. आलोक जी

अंडमान निकोबार द्वीप समूह – श्रीविजयपुरम में आयोजित हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराडे

गोवा में बजरंग दल के साप्ताहिक मिलन प्रमुखों की बैठक को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद पराडे

बेलापुर, नवी मुंबई में विहिप के जिला मंत्री–सहमंत्री के अभ्यास वर्ग को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराडे

हिन्दू विश्व

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

01-15 मई, 2025

बैशाख शुक्ल - ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष

पिंगल संवत्सर

वि. सं. - 2082, युगाब्द- 5127

सम्पादक
विजय शंकर तिवारी

सह सम्पादक
मुरारी शरण शुक्ल
मो. - 7217685539

परामर्शदाता
सर्वश्री राजेन्द्र शर्मा,
धर्मनारायण शर्मा, विजय कुमार,
रवि पराशर

व्यवस्थापक
श्री दूधनाथ शुक्ल
मो. - 09582555152

सज्जा
श्री महेश कुशवाहा

कार्यालय :
'हिन्दू विश्व'
संकटमोचन आश्रम, प्रभाग - 6
रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली-110022-05
दूरभाष : 09582555152

011-26178992, 011-26103495
hinduvishwa@gmail.com

- : मूल्य :-

विदेशों के लिए	$ 75 USD
वार्षिक डाक व्यय सहित	
एक प्रति	15/-
वार्षिक	300/-
त्रिवर्षीय	750/-
पंचवर्षीय	1,200/-
दसवर्षीय	2,250/-
पन्द्रह वर्षीय	3,100/-

पत्रिका की सदस्यता हेतु क्यूआर कोड स्कैन करें, उसका स्क्रीन शॉट और अपना पता व्यवस्थापक को 9582555152 नम्बर पर भेजें।

वैधानिक सूचना

- 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

कुल पेज - 28

युद्ध-रत प्रजाओं द्वारा सहायता के लिए पुकारे जाने वाले, शस्त्र-हस्त होकर संघर्ष करने वाले, योद्धाओं द्वारा बुलाये जाने वाले, जल-वर्षण के निमित्त प्रार्थना किये जाने वाले, विद्वानों द्वारा हवि समर्पित किये जाने वाले देवता एक मात्र इन्द्र हैं।

- सामवेद

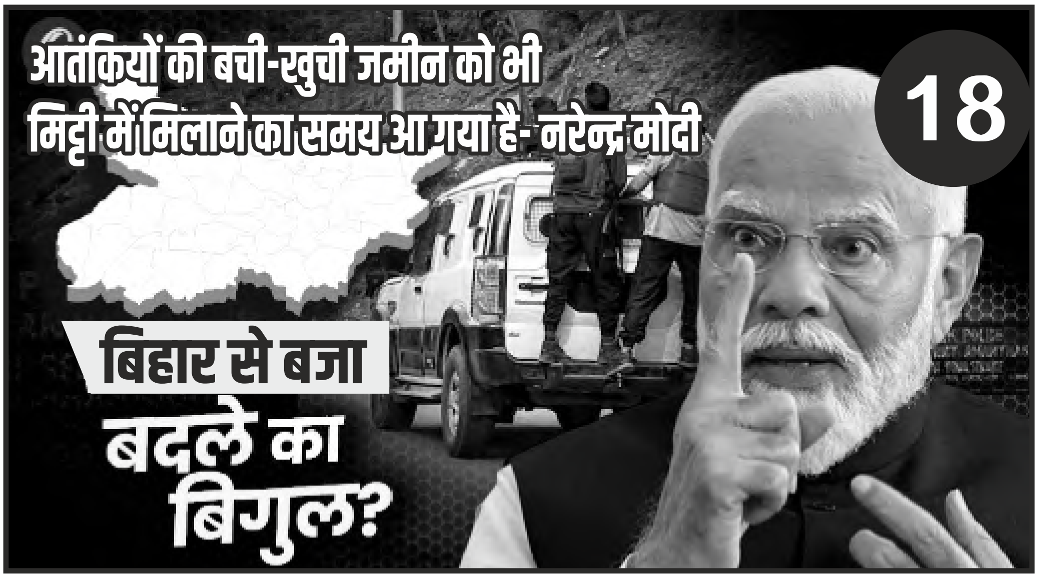

जुम्मे की नमाज या काफिरों पर हमले का आगाज...!!	05
वक्फ संशोधन विधेयक	07
आतंकवाद का मजहब अब पता चल गया	09
वक्फ संशोधनों का समर्थन क्यों करना चाहिए?	10
यूपी में इसलिए नहीं बन पाया वक्फ कानून के खिलाफ माहौल	13
इतिहास के नक्षत्र महाराणा प्रताप	15
लाहौर पर दोहरी विजय की कीर्ति गाथा	17
मा. आलोक जी का संत दर्शन प्रवास	20
असली बंशलोचन खा लिया तो कभी नहीं होगी कैल्शियम की कमी	22
मुर्शिदाबाद घटना की हो एनआईए से जांच : आलोक कुमार	23
वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर हिंसा	24
बंगाल में हो रही घटना के विरोध में विहिप का धरना	25
मंदिरों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की दिशा में कानून बनाया जाए	26

सुभाषित

छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षीणोप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः।
इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न दुःखेषु।।

कट जाने पर भी वृक्ष समय पाकर बढ़ जाता है तथा क्षीण हो जाने पर भी चन्द्रमा पुनः बढ़ता है। इसी प्रकार विचार करने वाले पुरुष विपत्ति में भी घबराते नहीं हैं।

सम्पादकीय

विजय शंकर तिवारी

वक्फ कानून, न्यायिक अवरोध और हिंदू समाज के साथ होता भेदभाव

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और धर्म के पालन की स्वतंत्रता का आश्वासन देता है। लेकिन जब इन अधिकारों के व्यवहारिक क्रियान्वयन की बात आती है, तो साफ दिखाई देता है कि कुछ वर्गों को विशेष संरक्षण और कानूनी छूट प्राप्त है, जबकि बहुसँख्यक समाज, विशेषकर हिंदू समाज लगातार प्रशासनिक और न्यायिक उपेक्षा का शिकार होता है। इसका ताजा उदाहरण है–वक्फ संशोधन विधेयक 2023। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद अब तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और यह ठहराव केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक असंतुलन का संकेत है, जिसमें हिन्दू समाज बार–बार असमान न्याय का अनुभव करता है।

वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत मुस्लिम समुदाय को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी अचल संपत्ति को 'वक्फ' घोषित कर सकते हैं। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से होता है, जिन्हें केंद्रीय वक्फ परिषद निर्देशित करती है। इन संपत्तियों के दावों की वैधता और उनके रख–रखाव में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सार्वजनिक या न्यायिक स्तर पर कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं रही है। वक्फ बोर्डों को दी गई असीम शक्तियों के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। अनेक बार यह देखा गया है कि वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्तियों पर भी दावा कर लेते हैं, जिनका वक्फ से कोई ऐतिहासिक या दस्तावेजी संबंध नहीं होता। कई मामलों में मंदिरों की भूमि, स्कूलों की जमीनें, यहाँ तक कि रेलवे और अन्य सरकारी संस्थानों की भूमि पर भी वक्फ बोर्डों ने एकतरफा दावा पेश किया है। इसके विरोध में आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की सुनवाई का उचित मंच नहीं मिलता, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल ही इन मामलों में एकमात्र अपीलीय मंच होता है और वह भी वक्फ परिषद के ही अधीन काम करता है।

इसी असंतुलन और अराजकता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाने हेतु 2023 में एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पूर्व संबंधित पक्षों की सुनवाई अनिवार्य हो, दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएँ, और वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली को राज्य सरकारों की निगरानी में लाया जाए। यह विधेयक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो गया, लेकिन जब कुछ मुस्लिम संगठनों और वामपंथी लॉबी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो इस पर तत्काल स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। यहीं से वह प्रश्न जन्म लेता है, जो आज हिन्दू समाज को झकझोर रहा है–क्या लोकतांत्रिक बहुमत और जनता के व्यापक हितों की भी अब न्यायपालिका में कोई वैधता नहीं रह गई?

सवाल यह है कि क्यों हिंदू समाज के धार्मिक संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में रखा गया है, जबकि अल्पसँख्यक समुदायों को पूर्ण प्रशासनिक स्वतंत्रता दी गई है? और जब इस असमानता को समाप्त करने की दिशा में कोई विधेयक लाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे रोक देती है–क्या यह भी एक नया प्रकार का धार्मिक तुष्टिकरण नहीं है?

सवाल यह है कि क्यों हिंदू समाज के धार्मिक संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में रखा गया है, जबकि अल्पसँख्यक समुदायों को पूर्ण प्रशासनिक स्वतंत्रता दी गई है? और जब इस असमानता को समाप्त करने की दिशा में कोई विधेयक लाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे रोक देती है–क्या यह भी एक नया प्रकार का धार्मिक तुष्टिकरण नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णायक होती है, लेकिन जब वह संसद के बहुमत से पारित किसी विधेयक को–जो केवल पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया की मांग करता है–एकतरफा एक पक्ष की आपत्ति पर स्थगित कर देता है, तो यह चिंता की बात है। यह रेखांकित करता है कि न्यायपालिका में भी एक अदृश्य पूर्वाग्रह सक्रिय है, जो बहुसँख्यक समुदाय की समस्याओं को द्वितीयक मानता है।

वक्फ संशोधन विधेयक का ठहराव केवल एक विधायी प्रक्रिया की देरी नहीं है; यह हिंदू समाज के साथ होती न्यायिक असमानता का जीवंत प्रमाण है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र और संविधान की आत्मा पर उठता एक मौन लेकिन तीखा प्रश्न है।

और जब प्रश्न मौन होते हैं, तो उत्तर भी अंधेरे में खो जाते हैं।

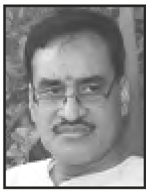

विनोद बंसल
राष्ट्रीय प्रवक्ता विहिप

जुम्मे की नमाज या काफिरों पर हमले का आगाज..!!

गत कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि जुम्मे की नमाज खत्म होते ही कुछ इस्लामिक जिहादी तत्व बेहद हिंसक हो जाते हैं। मस्जिदों से निकलते ही कभी पत्थर तो कभी पेट्रोल बॉम्ब, कभी सुतली बम तो कभी सरिया, रॉड और चाकू, तलवार लेकर काफिरों पर वार करने को दौड़ पड़ते हैं। यदि स्वाधीन भारत के इतिहास में हुए विभिन्न दंगों या हिंदुओं पर हुए हमलों का अध्ययन करें, तो पता चलता है कि ऐसे अधिकांश हिंसक हमले जुम्मे (शुक्रवार) के दिन ही प्रारंभ हुए और मस्जिद से निकलते के साथ ही, काफिरों (गैर मुसलमानों) के खून के प्यासे बन गए। मस्जिद से निकलते ही किसी के हाथ में पत्थर होता है, तो किसी के हाथ में डंडे, कहाँ से पेट्रोल बम आता है और कहाँ से चाकू, छुरी या तलबार, यह कोई नहीं जानता, किंतु यह बात सत्य है कि जिहादी जानवर जब झुंड में होते हैं, तो उन्हें हिंसा, अत्याचार और पापाचार के अलावा कुछ नहीं सूझता।

अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी जो वीभत्स घटना देखने को मिली, उसका प्रारंभ भी 11 अप्रैल को जुम्मे की नमाज के बाद ही हुआ। साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के अनुसार धुलियान के एक बुजुर्ग षष्टी घोष ने बताया कि "शुक्रवार 11 अप्रैल को दोपहर 12.00 बजे मस्जिद से घोषणा की गई कि वक्फ कानून के विरोध में 2.00 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। आप जहाँ भी हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाइए।" उस प्रदर्शन में लगभग 15 से 20,000 मुसलमान थे। पहले उन्होंने हिंदुओं की बस्ती घोषपाड़ा में पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, दुकानों को तोड़फोड़ के बाद आपके हवाले कर दिया और कई को लूट लिया। पहले गौरांग मंदिर, फिर दुर्गा मंदिर को भी आग के हवाले कर दिया। आगे जाकर डाक बंगला, शीतला माता मंदिर और काली मंदिर में तोड़फोड़ की, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी कर उत्पात मचाते हुए जिहाड़ियों ने रेल गेट का सिग्नल व ट्रैफिक लाइट तोड़ते हुए लगभग अनेक मंदिरों और हिंदू बहुल इलाके में दर्जनों घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने पानी कि टंकियों व तालाबों में भी जहर मिला दिया था। तालाबों में जहर मिलाने से बड़ी सँख्या में मछलियाँ मर गई। पान के बागानों में भी आगजनी की गई। उन्होंने घर में घुसकर के लूटपाट की, महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्रता की, इसी कारण बुरी तरह डरी–सहमी हिन्दू महिलाएँ और बच्चे तुरंत वहाँ से अपने घरों को त्याग करके शरणार्थी शिविरों की ओर पलायन को मजबूर हुए।

इस हिंसक भीड़ ने 65 वर्ष के श्री हरगोविंद दास और उनके 35 वर्षीय बेटे चंदन दास समेत तीन लोगों को पीट–पीट कर बुरी तरह मार डाला, जबकि, दर्जनों लोग घायल हुए और कुछ लोग अभी भी लापता हैं। इस हिंसा से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग एक हजार हिंदू परिवार प्रभावित हुए, जिनमें से लगभग 500 परिवारों को मालदा के पारलालपुर हाई स्कूल में बने राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। एक संसदीय कानून के विरोध के नाम पर इन्होंने केवल हिंदुओं को निशाना बनाया, उनको घरों को खाली करने को कहा, 130 कारों को और लगभग दो दर्जन दुकानों को आग हवाले कर दिया। यहाँ तक कि मवेशियों को भी जला दिया। घरों, दुकानों और मॉल में घुसकर लूटपाट की और यहाँ तक कि वहाँ के किसी मंदिर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अब शरणार्थी शिविरों में वहाँ की स्वयं सेवी सँस्थाओं को भी भोजन, दवा, वस्त्र या बच्चों को दूध देने से शासन–प्रशासन द्वारा न सिर्फ रोका जा रहा है, अपितु उन पर पहरा बिठाकर पत्रकारों और समाज के अन्य लोगों से उन्हें मिलने से भी वंचित किया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर पीड़ित परिवारों को जबरन मुर्शिदाबाद वापस भेजने के लिए भी दवाव बनाया जा रहा है, जबकि, वे सभी उन घटनाओं की भीषणता को देखते हुए बेहद डरे हुए हैं और कहते हैं कि जब तक वहाँ पर केंद्रीय बलों की स्थाई नियुक्ति न हो और हमारी सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था न हो, हम वहाँ मरने नहीं जाएंगे।

मुर्शिदाबाद घटना के बाद माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित जिले में बीएसएफ और सीआरपीएफ की 17 कंपनियों की तैनाती की। जिससे वहाँ की स्थिति कुछ नियंत्रण में तो आई है,

किंतु जिहादियों के मनोबल में किसी प्रकार का कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। जिले में जिन स्थानों पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई, उनमें पारलालपुर, नूतन डाक बंगला, पाकुड़ रोड, चुनुबाबुर, बाड़ी, पुरातुन डाकबंगला, रतनपुर, धुलियान, घोषपारा, धूलियान शिव मंदिर, चांदीपुर, बाशबोना, रानीपुर, सुती, जंगीपुर, धुलियान, जाफराबाद और शमशेरगंज शामिल हैं। इन क्षेत्रों से हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है, पीड़ितों का कहना है कि हिंसा का ऐसा मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। जिहादी तत्व हिंसा करते रहे, हम पुलिस को फोन लगाते रहे, किन्तु पुलिस सिर्फ तमाशबीन या नदारद ही रही। यह कहना है धुलियान निवासी सोहन मंडल का। वहाँ की महिलाएँ कहती हैं कि जिन्हें हम अपना समझते थे, उन्होंने जब हमें ही नहीं छोड़ा, तो आगे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है ? कट्टरपंथियों ने गैस सिलेंडर खोल करके पेट्रोल डालकर घरों में आग लगाई थी और बड़ी सँख्या में घरों, दुकानों और मॉल में लूटपाट की। उन्होंने बीएसएफ के जवानों तक को नहीं छोड़ा और मुर्शिदाबाद में तीन स्थानों पर बीएसएफ के जवानों पर भी जानलेवा हमले हुए।

पारलालपुर हाई स्कूल में शरणार्थी बनी एक महिला ने बताया कि "जब दंगाई हम पर, हमारे घरों पर हमले कर रहे थे, तब पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही थी। हमने गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। पुलिस वाले कहते रहे, जाओ हम आते हैं।" हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। जब तक हमें सेना की सुरक्षा नहीं मिलती, घर और रोजगार का कोई जरिया नहीं दिया जाता, हम वापस लौटकर क्या करेंगे ? दुर्भाग्य की बात यह है कि इन जिहादी जानवरों ने 9 माह की गर्भवती महिला और मात्र 5–6 दिन के मासूम बच्चे तक पर भी रहम नहीं खाया और वे सब भी अपनी जान बचाने के लिए पैदल चलकर, नाव का सहारा लेकर मालदा में शरण लेने को मजबूर हुए।

यूं तो जिहादी कुकर्मों की दास्तान बहुत लंबी है, किंतु, अब जब राज्य के सत्ताधीशों की बात करते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री घटना के चार–पाँच दिन बाद ही राज्य भर के इमाम और मौलवियों का एक सम्मेलन बुलाकर, उन्हें शांति का दूत बताती हैं, उनको सैल्यूट करते हुए हिंसा को रोकने का आह्वान करती हैं, किंतु पीड़ित हिंदुओं की सहायता की बात तो दूर उनके लिए सांत्वना के दो शब्द ट्वीट करने का भी साहस आज तक नहीं जुटा पाईं। राज्य की पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था पर शायद उनका भरोसा अब नहीं रहा। शायद इसीलिए, वे जिहादियों के पैरोकारों और सरगनाओं से राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक करने की अपील करती हैं।

गत कुछ वर्षों का पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास देखें, तो पता चलता है कि पहले कम्युनिस्ट और फिर टीएमसी के माध्यम से राज्य की सत्ता में परिवर्तन तो हुआ, किन्तु हिंदुओं के विरुद्ध हमलों, हिंसा, अत्याचार और दंगों की घटनाओं में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा। हिंदुओं को अपने त्योहार, धार्मिक यात्राओं और शोभायात्राओं को मनाने के लिए बार–बार उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है और फिर भी कहीं ना कहीं हम हिंसा का शिकार बन जाते हैं। बाँग्लादेश से लगी हुई 450 किलोमीटर लंबी राज्य की सीमा पर कोई बाड़ या कंटीले तारों का घेरा ना होने के कारण बाँग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ आसानी से सीमा पार कर लेते हैं और आसानी से राज्य की सत्ताधारी पार्टी का वोट बैंक बन जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू वहाँ पर दोयम दर्जे का नागरिक बन कर रहा गया है।

इन सब घटनाओं से क्षुब्ध हिंदू समाज ने पहले तो पूरे बंगाल में धरने–प्रदर्शन कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया। उसके बाद 19 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद व बजरंगदल द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन कर सभी जिलों के जिलाधीशों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए गए। इन के माध्यम से विहिप ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ महामहिम महोदया से प्रार्थना की है कि–

1. बंगाल में जिहादी हिंसा, टीएमसी की गुंडागर्दी तथा दंगाइयों को सरकारी प्रश्रय बंद हो।
2. हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा, उपद्रव आगजनी व लूटपाट की NIA से जाँच कर दोषियों को कठोर दंड मिले।
3. राज्य की कानून व्यवस्था केंद्रीय सुरक्षाबलों को सौंपी जाए।
4. रोहिंग्या व बाँग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन सभी को सीमा पार खदेड़ा जाए।
5. बाँग्लादेश से लगी हमारी 450 km की सीमा को सील करने का कार्य अविलंब शुरू किया जाए, जो ममता सरकार के कारण रुका हुआ है।
6. पीड़ित हिंदुओं को हुए नुकसान की भरपाई तथा उनके पुनर्वास की पुख्ता व्यवस्था हो।
7. शरणार्थी शिविरों में सहायता करने वाली स्वयंसेवी सँस्थाओं को पीड़ितों की सेवा व सहायता से ना हटाया जाए।
8. जब तक उनके पुनर्वास व सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था ना हो, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हिंदुओं को जबरन मुर्शिदाबाद भेजकर जिहादी भेड़ियों का ग्रास ना बनाया जाए।

अंत में यही कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रणवानन्द, भक्ति वेदान्त श्रील प्रभूपाद, ईश्वरचंद्र विद्या सागर जैसे महापुरुषों की पुण्य धरा को कलंकित करने वाली ममता सरकार का सेक्युलर मुखौटा अब उतर चुका है। शरिया व जिहाद को अब वहाँ सारे–आम राजकीय संरक्षण मिल रहा है। तृणमूल का शासन एक ऐसे रूप में ढल रहा है, जहाँ नीति, न्याय, सुरक्षा व संसाधनों पर कब्जा सिर्फ जिहादियों की बपौती है। मानो, 'मुस्लिमों द्वारा, मुस्लिमों के लिए' ही संचालित राज्य का पूर्वाभ्यास हो। यदि अभी भी शासन द्वारा जिहादियों को प्रोत्साहन और मस्जिदों का हिंसा के लिए प्रयोग पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो सिर्फ बंगाल ही नहीं अपितु, सम्पूर्ण भारत में स्थितियाँ भयमय होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिहादियों का विरोध किसी से हो, निशाना सिर्फ काफिर या हिन्दू ही होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न को हमें ठीक से समझना जरूरी है।

डॉ. प्रवेश कुमार

वक्फ संशोधन विधेयक
भू-माफियाओं के विरुद्ध न कि इस्लाम के

पुराने वक्फ एक्ट के तानाशाही रवैये के खिलाफ सरकार ने एक उचित पहल की है, लेकिन इसका भी विरोध मुस्लिम समाज के धनाढ्य वर्ग द्वारा किया जा रहा है। अब आम मुस्लिम समाज ही खुद तय करे कि वह इनकी राजनीति को कितना कामयाब होने देंगे। इन दिनों देश में वक्फ–वक्फ का शोर है, वहीं इससे इस्लाम तथा मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा कह कर इंडी गठबंधन के दल प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि यदि इतना अत्याचार हो रहा है, तो, आम मुस्लिम समाज के भीतर इसको लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं है ? परंतु जुम्मे की नमाज में मुल्ले–मौलवी खूब तकरीरे करते हैं कि सब जमीने छिन जायेंगी, मुसलमानों के घर छिन जाएँगे। इतना ही नहीं रोज शाम होने वाली टीवी डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर शामिल होने वाले प्रतिनिधि भी कहते हैं कि हमारे बाप–दादाओं की जमीनें सरकार ले लेगी, मुस्लिम पर बहुत अत्याचार हो रहा है।

वहीं हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन विधेयक पर भी खूब शोर–शराबा हुआ था। उस समय भी मुस्लिम मुल्लाओं और स्कॉलर के द्वारा यही फैलाने का प्रयास हो रहा था कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन आज नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू हुए भी काफी समय हो गया, लेकिन क्या किसी मुस्लिम की नागरिकता छिनी है ? बल्कि बहुत से मुस्लिम नागरिकता रजिस्टर में शामिल ही हुए हैं। इसका अर्थ है कि मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले, वही मुस्लिम नेताओं ने अपनी राजनीति के मद्देनजर सरकार के किसी भी न्यायसंगत कानून का इसलिए विरोध किया, क्योंकि वह एक विपक्षी गठजोड़ बनाना चाहते थे। ऐसे ही तलाक कानून का लाभ किसको मिलना था ? क्या हिंदू, सिख, बौद्ध, इसाई एवं पारसी यह सभी बहु विवाह कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं। इसका अर्थ यह कानून पूर्णतः मुस्लिम महिलाओं के लिए मुक्ति का एक दस्तावेज था, लेकिन देश के मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम वोट की लालची पार्टियों ने इसका भी विरोध किया। मुस्लिम महिला को न्याय मिले, तलाक का अधिकार उसको भी हो, मुक्ताप्रथा जैसी अमानवीय प्रताड़ना से मुक्ति का अधिकार उसका भी हो, वह भी हिंदू महिला की तरह तलाक के बाद मुआवजे एवं रख–रखाव भत्ता की हकदार बने, मुस्लिम महिला का भी अधिकार अपने पिता की सम्पत्ति में हो, यह सब इस तीन तलाक के कानून की समाप्ति से ही होना था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसका भी विरोध किया गया। इस सब पर पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का वह वक्तव्य ध्यान आता है, जिसमें वह कहते हैं ''इस्लाम सुधार पसन्द नहीं है, बल्कि वह अपनी पुरानी प्रथाओं से चिपका रहना चाहता है''।

अब आइए वक्फ संशोधन पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह वक्फ है क्या? इस्लाम के अनुसार वक्फ का अर्थ दान है, अर्थात वक्फ की सम्पत्ति अल्लाह की सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति लोगों के दान से बनती है। इस्लामिक स्कॉलर

अहसान आलम बताते हैं ''वक्फ इस्लाम में दान के रूप में देखा जाता है, लेकिन आगे वह कहते हैं कि मुगल आक्रांताओं की भारत में कोई जमीन ही नहीं थी, तो वह दान वैसे कर सकते थे'' ।

वक्फ अल्लाह की सम्पत्ति मानी जाती है, यह इस्लामिक समाज में किसी अनुयायी के द्वारा दान की जाती है। आजादी से पूर्व वक्फ को लेकर कोई खासी चर्चा नहीं थी, दुनियाँ के अन्य इस्लामिक देशों में भी वक्फ जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में इस्लामिक तुष्टिकरण के चलते काँग्रेस ने 1954 में वक्फ प्रबंधन समिति का गठन किया। अब इसमें रोचक बात यह है कि इस वक्फ के सदस्य सभी मुस्लिम होने का प्रावधान किया गया, जो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के निर्देशन में काम करेंगें, जिसमें यह अधिकारी भी मुस्लिम ही होगा।

काँग्रेस सरकार द्वारा गठित इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड को समय–समय पर असीमित शक्तियाँ दी गई, जिसमें (1) केंद्रीय वक्फ समिति, राज्य के वक्फ बोर्ड के सदस्य सभी केवल मुस्लिम होंगे (2) वक्फ की सम्पतियों का विवरण एकत्रित करने का कार्य बोर्ड द्वारा नियुक्त सर्वे कमिश्नर करेगा, (3) वक्फ को किसी भी जमीन पर अधिकार जमाने का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में असीमित अधिकार था। यदि किसी ने अपनी जमीन वक्फ की, जो असल में उसकी थी भी नहीं बल्कि वह मात्र कब्जा था, लेकिन यदि एक बार उसे वक्फ कर दिया, तो वह जमीन अब अल्लाह की हो गई, (4) 1995 में इसी में वक्फ ट्रिब्यूनल आ गया, जो पहले के कानून से और ज्यादा शक्तिशाली हो गया।

अब जमीन किसी की भी हो यदि वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह हमारी है, तो आप केवल ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं और ट्रिब्यूनल वर्षो तक विषय को लटकाए रखता है, इसी का परिणाम है कि केरल के मुनंबम गाँव की 400 एकड़ से ज्यादा भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया, वहीं तमिलनाडु में 1000 साल पुराने मंदिर को वक्फ सम्पति बता दिया। इसमें सबसे हास्यास्पद बात तो तब हुई, जब वक्फ बोर्ड ने कुंभ मेले की जमीन को भी वक्फ की सम्पति करार दे

दिया, जबकि इस्लाम के जन्म से लाखों वर्षों पूर्व से कुंभ का आयोजन होता आ रहा है।

इसके साथ ही भारत की संसद, कई प्राचीनतम मंदिर, दिल्ली के कई महत्वपूर्ण स्थान सभी को वक्फ सम्पति है, इसकी घोषणा भी वक्फ द्वारा कई बार की गई, इसी का परिणाम है कि इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, सितंबर 2024 तक के डेटा के अनुसार 8.7 लाख पंजीकृत अचल वक्फ सम्पत्ति है।

अब सोचें इतनी बड़ी जमीन के मालिक मुस्लिम समाज के हमारे बन्धु हैं, वहीं काँग्रेस सरकार द्वारा गठित सच्चर कमीशन कहता है कि देश में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। मुसलमानों के संबंध में यह विरोधाभास समझ से परे है। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार गरीब कल्याण की मंशा से सबके विकास को समर्पित होने के कारण मुस्लिम वर्ग को लघु उद्योगों, हस्तकला, मुद्रा लोन आदि के तहत कई प्रकार के सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराकर मुस्लिम वर्ग को सशक्त करने का कार्य कर रही है और इसी को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम वर्ग की आर्थिक उन्नति के लिए मुस्लिम समाज के तथाकथित नेताओं एवं मुल्लाओं के चंगुल में फंसी लाखों एकड़ जमीन है, यह गरीब मुस्लिम कल्याण के प्रयोग में कैसे आए, इसका प्रयास कर रही है। इसलिए लंबे जन विमर्श, चर्चा–परिचर्चा के बाद वक्फ बिल को संसद में लाया गया है। अब आइए जानते हैं नए वक्फ संशोधन अधिनियम को सरकार क्यों ला रही है, नए विधेयक के अनुसार केंद्रीय वक्फ बोर्ड, राज्यों के वक्फ बोर्ड एवं ट्रिब्यूनल्स (न्यायाधिकरण) के सदस्य महिला व अन्य धर्मावलम्बी भी बन सकते हैं। चूंकि भारत की सँस्कृति सबको मिलाकर चलने की वकालत करती है और यहाँ तक मुस्लिम समाज भी हमेशा गंगा–जमुनी तहजीब की बात करता है। जो कि इस बोर्ड में असल में गंगा–जमुनी तहजीब दिखेगी। वहीं वक्फ की सम्पतियों के सर्वेक्षणों की निगरानी अब बोर्ड द्वारा नियुक्त सर्वे कमिश्नर से न होकर जिलाधिकारी द्वारा होगा। सरकारी सम्पतियों पर से वक्फ का नियंत्रण हटाया जाएगा, या यूँ कहें कि तमाम वक्फ संपतियों का पुनःनिरीक्षण किया जाएगा, जो सरकार की होगी तथा जिलाधिकारी के अधीन होगी, जिस पर समाज कल्याण के कार्य होंगे। इसी प्रकार वक्फ जमीन से संबंधित किसी मुकदमे के लिए दाता पक्ष स्वतंत्र है, अब वह सीधे उच्च न्यायालय या अन्य किसी अदालतों में याचिका के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार से पुराने वक्फ एक्ट के तानाशाही रवैये के खिलाफ सरकार ने एक उचित पहल की है लेकिन इसका भी विरोध मुस्लिम समाज के धनाढ्य वर्ग द्वारा किया जा रहा है। अब आम मुस्लिम समाज ही खुद तय करे कि वह इनकी राजनीति को कितना कामयाब होने देंगे ?

(वीर अर्जुन राष्ट्रीय संस्करण से साभार)

पहलगाम में इस्लामिक जिहादियों ने की 27 हिन्दू पर्यटकों की हत्या

आतंकवाद का मजहब अब पता चल गया

मुरारी शरण शुक्ल
सह सम्पादक 'हिंदू विश्व'

❖ जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे घात लगाकर इस्लामिक आतंकियों के द्वारा 27 पर्यटकों को गोली मार दिया गया। 20 से अधिक लोग घायल हैं। सबको धर्म पुछकर मारा गया। हिन्दू नाम पुछकर, पैंट उतरवाकर खतना हुआ है कि नहीं यह देखकर, आईडी देखकर, कलमा पढ़वाकर, उनका हिन्दू होना कंफर्म कर के मारा गया, अल्लाह–ओ–अकबर का नारा लगाते हुए मारा गया, मूर्तिपूजक होने के कारण मारा गया।

❖ हमले के समय 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में बड़ी सँख्या में पर्यटक विद्यमान थे। मृतकों में उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक थे। नेपाल और यूएई के एक–एक पर्यटक और स्थानीय दो लोग मारे गए।

❖ केन्द्रीय गृहमंत्री घटना की जानकारी होते ही पहलगाम पहुँचे। पहलगाम पीड़ित परिवारों के लोगों से श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में भेंट की।

❖ नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को इस घटना की जांच का जिम्मा दिया गया है। एजेंसी के अधिकारी टीम समेत पहलगाम पहुँच चुके हैं।

❖ जम्मू–कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों ने पुछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है।

❖ जम्मू–कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की सटीक जानकारी देने वालों को 20 लाख रु. के इनाम की घोषणा की है।

❖ आतंकी हमले के बाद घाटी खाली, बुकिंग कैंसिल, लौट रहे पर्यटक, पर्यटन ही है मुख्य कमाई घाटी के मुसलमानों की।

❖ आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा निरस्त कर बीच में ही मध्यरात्रि के बाद भारत लौट आए। राष्ट्रपति ट्रम्प से बात की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रम्प और पुतिन समेत जापान, फ्रांस, सऊदी अरब समेत सैकड़ों देशों ने समर्थन का बचन दिया।

❖ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) ने ढाई घंटे चली मीटिंग में पाँच बड़े निर्णय लिए–

- पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया।
- अटारी एकीकृत चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया।
- पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क (SAARC) बीजा छूट योजना (SVES) के अन्तर्गत भारत आने की छूट नहीं दी जाएगी। जो पाकिस्तानी नागरिक अभी SVES बीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना पड़ेगा।
- नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति (Persona non grata) घोषित कर दिया गया है। उन्हें 7 दिनों के अन्दर भारत छोड़ना पड़ेगा।
- भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाया।

❖ इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि पाकिस्तान का सैफुल्लाह खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है और पीओके से ऑपरेट कर रहा है। इसने मार्च 2025 में कहा था कि पाकिस्तान सरकार कश्मीर मुद्दा ठंढ़ा न पड़ने दे। लश्कर–ए–तैय्यबा का यह डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट का रहने वाला है। लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह ने TRF की स्थापना की थी।

❖ हमले में पाँच आतंकी शामील थे, जिनमें दो स्थानीय थे और तीन पाकिस्तानी थे। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने संदिग्ध आतंकियों का स्केच जारी किया है। इनके नाम हैं आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबु तल्हा।

❖ दो स्थानीय मुसलमानों ने आतंकियों की मदद की थी–खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी। दोनों स्थानीय मुसलमानों के नाम मोहम्मद आदिल और मोहम्मद आसिफ है। दोनों ने आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी, जंगल में 5–6 आतंकी छिपे हुए थे। सभी आतंकी पूरी तैयारी से आए थे, आतंकियों के बैग में गोलियों के साथ ड्राई फ्रूट्स भरे हुए थे।

❖ TRF ने लिया है हमले की जिम्मेदारी– TRF को हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर–ए–तैय्यबा के कैडर के साथ बनाया गया था। केन्द्र सरकार इसे लश्कर–ए–तैय्यबा का प्रॉक्सी संगठन मानती है। द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नया आतंकी संगठन है, जो अगस्त 2019 में धारा 370 हटने के बाद उभरा। TRF का आरम्भ लश्कर–ए–तैय्यबा की ऑनलाइन ईकाई के रूप में हुआ था, जो बाद में पुर्ण आतंकी समुह बन गया। 2022 में जम्मू–कश्मीर में कुल 172 आतंकी मारे गए, उनमें 108 TRF से थे।

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

सभी भारतीयों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, वक्फ संशोधनों का समर्थन क्यों करना चाहिए ?

वक्फ क्या है?

वक्फ एक इस्लामी संपत्ति है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक कारणों से किया जाता है। वक्फ के रूप में वर्गीकृत संपत्ति को स्थायी रूप से पवित्र माना जाता है और इसे बेचा, विरासत में नहीं लिया जा सकता है या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों जैसी सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाना उद्देश्य है। लेकिन हकीकत में ऐसा दिखाई नहीं देता है। 23 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग–अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (WAMSI) पोर्टल के अनुसार, वर्तमान में 8.72 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं, जो 37.39 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं। भारत में वक्फ सँस्थाओं में ऐतिहासिक रूप से समावेशिकता का अभाव रहा है, जिससे वंचित मुस्लिम समुदायों जैसे आगाखानी, बोहरा, पिछड़े मुस्लिम वर्ग, महिलाओं और गैर–मुसलमानों जैसे प्रमुख हितधारकों की भागीदारी सीमित रही है। इस बहिष्कार ने वक्फ संपत्तियों को उनके इच्छित उद्देश्य–वंचित समुदायों और गरीबों के कल्याण और उत्थान को पूरा करने से रोक दिया है। वक्फ संपत्तियों की दक्षता, जवाबदेही और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करने और अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक संशोधित शासन मॉडल आवश्यक है।

क्या काँग्रेस प्रशासन द्वारा वक्फ बोर्ड का गठन, साथ ही 1954, 1995 और 2013 में किए गए बदलावों का मतलब यह है कि वे डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं करते? स्वार्थ के सबसे बुरे रूपों ने न केवल हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों को बल्कि बहुसँख्यक मुसलमानों और ईसाइयों को भी नुकसान पहुँचाया है। मुसलमानों और अन्य अल्पसँख्यकों को यह समझना चाहिए कि वंशवादी राजनीतिक दल किस तरह से अल्पसँख्यकों के तुष्टीकरण का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुसँख्यक मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं का इस्तेमाल हिंदुओं और राष्ट्र के खिलाफ उनके दिमाग में जहर घोलने के लिए किया गया है, ताकि राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके और सत्ता बरकरार रखी जा सके।

वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे क्या हैं ?

1. वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता : 'एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ' के सिद्धांत ने विवादों को जन्म दिया है, जैसे कि बेट द्वारका में द्वीपों पर दावे, जिन्हें अदालतों ने भी उलझन भरा माना है।

2. कानूनी विवाद और कुप्रबंधन : वक्फ अधिनियम, 1995 और इसका 2013 का संशोधन प्रभावकारी नहीं रहा है। कुछ समस्याओं में शामिल हैं–

- वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा
- कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद
- संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी
- बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें

3. कोई न्यायिक निगरानी नहीं : वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही कम हो जाती है।

4. वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण : सर्वेक्षण आयुक्त का काम खराब रहा है, जिससे देरी हुई है। गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2014 में आदेशित सर्वेक्षण अभी भी लंबित है। विशेषज्ञता की कमी और राजस्व विभाग के साथ खराब समन्वय

ने पंजीकरण प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

5. वक्फ कानूनों का दुरुपयोग : कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ है। निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है, जिससे कानूनी लड़ाई और अशांति पैदा हुई है। 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल 8 राज्यों द्वारा डेटा दिया गया, जहाँ धारा 40 के तहत 515 संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है।

6. वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता : वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जबकि अन्य के लिए कोई समान कानून मौजूद नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या वक्फ अधिनियम संवैधानिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

विधेयक पेश करने से पहले मंत्रालय ने क्या कदम उठाए और हितधारकों से क्या परामर्श किया ?

अल्पसँख्यक मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया, जिसमें सच्चर समिति की रिपोर्ट, जन प्रतिनिधियों, मीडिया और आम जनता द्वारा कुप्रबंधन, वक्फ अधिनियम की शक्तियों के दुरुपयोग और वक्फ सँस्थाओं द्वारा वक्फ संपत्तियों के कम उपयोग के बारे में उठाई गई चिंताएँ शामिल हैं। मंत्रालय ने राज्य वक्फ बोर्डों से भी परामर्श किया।

मंत्रालय ने वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की और हितधारकों के साथ परामर्श किया। दो बैठकें आयोजित की गईं–एक 24.07.2023 को लखनऊ में और दूसरी 20.07.2023 को नई दिल्ली में, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रभावित हितधारकों की समस्याओं को हल करने के लिए इस अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए आम सहमति बनी।

सीडब्ल्यूसी (केंद्रीय वक्फ परिषद) और एसडब्ल्यूबी (राज्य वक्फ बोर्ड) की संरचना का आधार बढ़ाना

मुतवल्लियों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, न्यायाधिकरणों का पुनर्गठन, पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार, टाइटल्स की घोषणा, वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण, वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन, मुतवल्लियों द्वारा खातों की फाइलिंग, वार्षिक खाता फाइलिंग में सुधार, निष्क्रांत संपत्तियों/परिसीमा अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा, वक्फ संपत्तियों का वैज्ञानिक प्रबंधन। इसके अलावा, मंत्रालय ने सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, बाँग्लादेश और तुर्की जैसे अन्य देशों में वक्फ प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का भी विश्लेषण किया है और पाया है कि वक्फ संपत्तियों को आम तौर पर सरकार द्वारा स्थापित कानूनों और सँस्थानों द्वारा विनियमित किया जाता है।

26 फरवरी, 2025 को भारत सरकार ने संसदीय पैनल द्वारा हाल ही में सुझाए गए बदलावों को शामिल करते हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। जिसके बाद यह विधेयक अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में संसद में पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों ने वक्फ बोर्ड को अतिक्रमण से बचाने में असमर्थता, भूमि विवाद और वक्फ बोर्डों में पक्षपात को उजागर किया है, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है।

जून 2024, भोपाल (म. प्र)

दैनिक भास्कर इनवेस्टिगेशन : वक्फ बोर्ड के रेकॉर्ड में 124 कब्रिस्तान, लेकिन सिर्फ 24 जगह कब्रिस्तान मिले, कब्जा करने वाले मुस्लिम समुदाय से ही जून 2022, पुणे (महा) : कोंढवा ईलाके में आलमगीर मस्जिद की 85 एकड़ भूमि को मुस्लिम भू–माफियाओं द्वारा बिल्डर को बेचा गया। वक्फ बोर्ड के अधिकारी जब नोटिस लगाने वहाँ पहुँचे, तो सलमान काजी, शोएब काजी समेत अन्य 7 लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

अगस्त 2024, बीड (महा) : अंबाजोगाई तहसील में संगीन मस्जिद की 276 एकड़ जमीन, इसमें से कई एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड सदस्य समीर काजी ने अपने नाम कर ली और उसको अवैध तरीके से बेचा। वक्फ सेवा मंच के आरिफ अली द्वारा हाई कोर्ट में पिटिशन दायर।

ऑक्टोबर 2018, (मुरादाबाद, उ. प्र.) : IAS अफसर और मुरादाबाद के पूर्व डी. एम. जुहैर बिन सगीर ने मूंढापांडे थाना क्षेत्र में वक्फ की करोड़ों रुपए की जमीन को पद का दुरुपयोग करते हुए करीबियों के नाम करवा दिया था। बदले में वक्फ को काफी सस्ती जमीन दूसरी जगह दिलवा दी।

सितम्बर 2015, आल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड (सूफी संघटन)

प्रेस : वक्फ संपत्ति पर कट्टरपंथी काबिज, उन्हें सुफीयों के हाथ में सौंपा जाए, भारत में जो भी वक्फ संपत्तियाँ हैं, वो सभी सुन्नी सूफी विचारधारा के लोगों द्वारा ही वक्फ की गयी हैं। लेकिन उन पर आज कट्टरपंथी विचारधारा से संबन्धित लोग काबिज हैं। जबकि कट्टरपंथी विचारधारा इस देश में 1855 में आई है। उससे पूर्व देश में मुसलमानों में दो ही (सुन्नी–सूफी, शिया) विचारधारा के लोग मौजूद थे। वक्फ संपत्तियाँ उन्हीं के द्वारा ही वक्फ की गयी हैं, इसीलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के नाम से दो बोर्ड बनाए गये। शिया वक्फ बोर्ड पर तो शिया काबिज हैं, पर सुन्नी वक्फ बोर्ड पर 1919 के बाद से कट्टरपंथी विचारधारा के लोग काबिज होते चले गए और आज चपरासी से लेकर चैयरमैन तक लगभग इसी विचारधारा के लोग पाये जाते हैं। जबकि 1919 से पूर्व सुन्नी वक्फ बोर्ड और उससे जुड़ी हुई तमाम सम्पत्तियों, मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों का संचालन सिर्फ सुन्नी, सूफी मुसलमान ही करता रहा है। अतः बोर्ड मांग करता है कि 1919 के बाद कट्टरपंथी विचारधारा द्वारा वक्फ की गयी सम्पत्तियों को अलग करके उनका अलग बोर्ड बना दिया जाए और पूर्व की भांति सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुन्नी, सूफी मुसलमानों के हवाले किया जाये।

दिसंबर 2020, प्रयागराज (उ. प्र) : शिया इमामबाड़ा ध्वस्त कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के पिछे अतिक अहमद मास्टरमाइंड। प्रयागराज

के बहादुरगंज इलाके की बताशा मंडी में दो सौ साल से पुराना इमामबाड़ा हैदर रजा स्थित है। साल 2015 में इस इमामबाड़े का मुतवल्ली अतीक अहमद के दोस्त वकार रिजवी को बनाया गया था। वकार की नियुक्ति के कुछ दिन बाद ही इमामबाड़े की बिल्डिंग को गिराया जाने लगा। लोगों ने विरोध किया तो इमामबाड़े की बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ऐसे बताया गया। इसके बाद भी विरोध जारी रहा तो पुलिस का इस्तेमाल कर प्रदर्शन करने वालों पर लाठियाँ चलवाई गईं और साथ ही मुकदमा भी दर्ज हुआ। यूपी में उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में ही थे। बहरहाल बिल्डिंग गिरने के बाद इमामबाड़े वाली जगह पर एक कमर्शियल कम्प्लेक्स बना दिया गया। चौक से सटा इलाका होने की वजह से इन दुकानों को मुंहमांगी कीमत पर व्यापारियों को दिया गया। कम्प्लेक्स की पहली मंजिल के छोटे से हिस्से में इमामबाड़े को सीमित कर दिया गया। अन्य यूरोपीय देशों (जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम) में मुस्लिम समुदायों के पास धार्मिक संपत्तियाँ हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से 'वक्फ बोर्ड' के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। अधिकांश संपत्तियाँ मुस्लिम चैरिटी ट्रस्ट या इस्लामिक फाउंडेशन के नाम से पंजीकृत हैं। दो उदाहरण।

देश : सऊदी अरब

वक्फ स्थिति : सऊदी अरब में, वक्फ का संचालन जनरल अथॉरिटी फॉर व वक्फ (GAA) द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2016 में शाही फरमान द्वारा की गई थी। GAA वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता वाली एक सार्वजनिक एजेंसी है, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। सऊदी अरब वक्फ प्रबंधन को आधुनिक बनाने और इसे राष्ट्रीय विकास में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

देश : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

वक्फ स्थिति : इस्लामिक मामलों और बंदोबस्ती का सामान्य प्राधिकरण यूएई में वक्फ संपत्तियों का प्रभारी है, जो संघीय कानूनों द्वारा शासित है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में, इस्लामिक मामलों और बंदोबस्ती का सामान्य प्राधिकरण (जीएआईएई), जिसे अक्सर अवाक्फ के नाम से जाना जाता है, एक सरकारी संगठन है, जो वक्फ संपत्तियों का प्रभारी है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक बंदोबस्ती है।

निष्कर्ष

देश की अखंडता को बनाए रखने की कुंजी संविधान का सम्मान करना है। सभी को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, स्वार्थी राजनीतिक एजेंडों के खिलाफ एक साहसिक कदम उठाना चाहिए। अन्यथा भारत को तोड़ने वाली ताकतें तोड़ने में सफल होंगी, देश को सामाजिक–आर्थिक और साँस्कृतिक रूप से और कमजोर करेंगी। आइए हम दिल से राष्ट्र के साथ एकजुट हों।

pankajjayswal1977@gmail.com

श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्रीराम जन्म कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा का आयोजन

हरिद्वार, 1 अप्रैल। जुर्स कंट्री में आयोजित किए जा रहे श्रीराम मंदिर प्राण–प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्रीराम जन्म कथा के उपलक्ष्य में म.म. स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गंगा तट से कथा स्थल श्रीराम मंदिर तक निकाली गयी भव्य कलश यात्रा का उद्घाटन पायलट बाबा आश्रम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर चेतन माता एवं महामंडलेश्वर श्रद्धा माता ने किया। कलश यात्रा में सैकड़ों की सँख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्रीराम जन्म कथा के मुख्य यजमान यूसी जैन ने कहा कि श्रीराम मंदिर का निर्माण अयोध्या की तर्ज पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 दिवसीय श्रीराम जन्म कथा के उपरांत 6 अप्रैल को श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई संत महापुरूष व बड़ी सँख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक अनोखी पहल है। मंदिर में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा होने पर श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। महामंडलेश्वर चेतना माता एवं महामंडलेश्वर श्रद्धा माता ने कहा कि श्रीराम जन्म कथा एवं श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समाज के लिए कल्याणकारी होगा।

बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर आंदोलन में संत महापुरूषों की बड़ी भूमिका रही है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के फलस्वरूप अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण होने से हिंदू समाज का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की पुण्य भूमि पर अयोध्या की तर्ज पर भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण होने से धर्मनगरी का मान और बढ़ेगा।

pankajvhpharidwar108@gmail.com

अजय कुमार, लखनऊ

यूपी में इसलिए नहीं बन पाया वक्फ कानून के खिलाफ माहौल

देश के सबसे बड़े सूबे और यहाँ के सबसे समृद्ध वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े उत्तर प्रदेश के करोड़ों मुसलमानों ने वक्फ अधिनियम 1995 में मोदी सरकार द्वारा किये गये बदलाव के खिलाफ कोई मुखरता नहीं दिखाकर पूरे मुल्क को हैरान कर दिया है। छिटपुट विरोध की जो खबरें आईं भी, तो उससे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश नहीं निकला। यूपी के मुसलमानों के इस रवैये ने मोदी–योगी के विरोधियों को हैरान कर दिया है, जबकि काँग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ–साथ कई मुस्लिम नेता यूपी को वक्फ आंदोलन की बड़ी रणभूमि बनाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम मौलाना, हैदराबाद में बैठे ओवैसी ही नहीं यूपी के मुस्लिम सांसद अफजाल अंसारी, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, मुहिबुल्लाह, इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिमों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यूपी के मुसलमानों की शांति इस हिसाब से भी खास है, क्योंकि वक्फ कानून में बदलाव की वजह से यूपी से इत्तर पूरे देश के मुस्लिमों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है, जो कई जगह हिंसक रूख भी अख्तियार कर रहा है। बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। यहाँ तक की अपेक्षाकृत शांत समझा जाने वाला गुजरात भी विरोध की चिंगारी से नहीं बच पाया है। पश्चिम बंगाल में हालात सबसे अधिक बेकाबू हैं। यहाँ तो मोदी सरकार द्वारा किये गये वक्फ कानून में बदलावों के विरोध के नाम पर हिन्दुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनकी संपत्ति को आग लगाई जा रही है। मुर्शिदाबाद के हाल तो सबसे अधिक चिंताजनक हैं। जहाँ से बड़ी सँख्या में हिन्दू अपनी जान और बहू–बेटियों की इज्जत बचाने के लिए रात के अंधेरे में पलायन को मजबूर हो गये। ऐसी वारदातों पर लगाम लगाने की बजाए ममता बनर्जी कहती हैं कि 33 प्रतिशत मुसलमानों को फेंक थोड़ी दिया जायेगा।

बात यूपी की करें तो मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव के बाद भी मुसलमान शांत है, तो यह वक्फ बोर्ड की विवादास्पद कार्यप्रणाली है, जिससे गरीब मुसलमान भी परेशान है, जिसे वक्फ बोर्ड में अभी तक कोई जगह नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की तुलना भूमाफिया से की है, खासकर प्रयागराज में कुंभ मेले की भूमि को लेकर विवाद के संदर्भ में। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय का वक्फ बोर्ड पर विश्वास कम हुआ है। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिमों के अधिकारों का हनन बताया। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण को मुस्लिमों को निशाना बनाने की साजिश करार दिया। हालांकि मुस्लिम समुदाय के भीतर से एक संगठित और व्यापक प्रतिक्रिया की कमी देखी गई है।

वक्फ बोर्ड पर अविश्वास के अलावा अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले में मिली भूमि पर मस्जिद निर्माण में देरी और वक्फ बोर्ड की निष्क्रियता ने मुस्लिम समुदाय का विश्वास कम किया है। इसके साथ–साथ मुस्लिम समुदाय में शिया–सुन्नी विभाजन और विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय की कमी के कारण एकजुट प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है।

राजनीति के जानकार यह भी कहते हैं कि योगी सरकार की सख्ती से भी लोग डरे हुए हैं। वह सी.ए.ए. आंदोलन के समय योगी सरकार के तेवरों को भुला नहीं पाए हैं। योगी आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। सरकारी कार्रवाईयों और सामाजिक माहौल के कारण मुस्लिम समुदाय में भय का वातावरण है, जिससे वे खुलकर वक्फ कानून का विरोध करने से बच रहे हैं। इन लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट का ही भरोसा बचा है, लेकिन वहाँ से भी कोई खास उम्मीद लगाना बेईमानी होगी।

यूपी में वक्फ कानून में बदलाव के

बाद की शांति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और उनसे जुड़े विवादों की स्थिति काफी जटिल और बहुआयामी है। अक्सर इसको लेकर विवाद होता रहता है। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की सँख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2022 में केंद्रीय अल्पसँख्यक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, राज्य में वक्फ के पास कुल 2,14,707 संपत्तियाँ हैं, जिनमें 1,99,701 सुन्नी वक्फ और 15,006 शिया वक्फ संपत्तियाँ शामिल हैं। हालांकि 2014 में जारी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियाँ थीं, जिनमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास और 5,269 शिया वक्फ बोर्ड के पास थीं। वक्फ संपत्तियों में धार्मिक स्थल, मस्जिदें, ईदगाह, दरगाहें, कब्रिस्तान, मदरसे, आशूरखाने, धर्मार्थ अस्पताल, दुकानें, बाजार, कृषि भूमि शामिल हैं। ये संपत्तियाँ वक्फ करने वालों द्वारा धार्मिक, सामाजिक और जनहित के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड के अधीन कर दी जाती हैं और इनका प्रबंधन वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत होता है, इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है, जो इन संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करता है, जिसमें 2013 में यूपीए की मनमोहन सरकार ने कई बड़े बदलाव कर वक्फ बोर्ड को अपार अधिकार दे दिए थे, जिसको लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था।

खैर उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों की सँख्या भी अत्यधिक है। वर्ष 1976 में प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट 1988 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल 1,32,140 वक्फ संपत्तियाँ थीं, जिनमें 1,24,355 सुन्नी वक्फ और 7,785 शिया वक्फ थीं। हालांकि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (वामसी) के अनुसार, यह सँख्या 2.37 लाख तक पहुँच गई है। इन संपत्तियों में से कई पर स्वामित्व को लेकर विवाद हैं, जहाँ वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार दोनों ही दावे कर रहे हैं। इसके अलावा कई संपत्तियाँ अतिक्रमण की शिकार हैं, जहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा है और किराया तक नहीं दे रहे। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिये मोदी सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव किया है।

दरअसल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कई प्रशासनिक चुनौतियाँ सामने आती हैं। वक्फ बोर्ड की 1.27 लाख संपत्तियों में से केवल 3,000 संपत्तियों का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास है। कई वक्फ संपत्तियाँ अतिक्रमण की शिकार हैं, जहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा है और किराया तक नहीं दे रहे। तमाम वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार के बीच कई कानूनी विवाद चल रहे हैं। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की सँख्या और उनसे जुड़े विवाद, इन संपत्तियों का उचित प्रबंधन और विवादों का समाधान राज्य सरकार, वक्फ बोर्ड और संबंधित समुदायों के सहयोग से ही संभव है। इसके लिए पारदर्शिता, रिकॉर्ड की सटीकता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के वक्फ कानून में संशोधन से एक तरफ वक्फ बोर्ड की मनमानी रूकेगी, तो दूसरी ओर वक्फ बोर्ड के फैसलों से पीड़ित पक्ष के लिए न्याय के दरवाजे खुलेगें, जो अभी तक बंद नजर आते हैं।

उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और उनसे संबंधित विवादों की स्थिति एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की सँख्या देश में सबसे अधिक है। राज्य में कुल 2,32,547 वक्फ संपत्तियाँ पंजीकृत हैं, जो राष्ट्रीय कुल का लगभग 27 प्रतिशत है। इनमें से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 2,17,161, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 15,386 संपत्तियाँ आती हैं। इसके अलावा भी प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने 57,792 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ होने का दावा किया है, जो लगभग 11,712 एकड़ भूमि पर फैली हुई हैं। यह विवाद मुख्य रूप से इस कारण उत्पन्न हुआ है कि कई संपत्तियाँ, जो वक्फ के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें राजस्व विभाग की रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप में दर्ज किया गया है।

यूपी के प्रमुख जिलों में विवादों की स्थिति की बात की जाये, तो शाहजहांपुर में 2,589 वक्फ संपत्तियों में से 2,371 को सरकारी भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं रामपुर में 3,365 में से 2,363 संपत्तियाँ सरकारी रिकॉर्ड में हैं। अयोध्या में 3,652 में से 2,116, जौनपुर में 4,167 में से 2,096, बरेली में 3,499 में से 2,000 संपत्तियाँ विवादित हैं। इसके अतिरिक्त, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, फतेहपुर, सीतापुर, आजमगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़ आदि जिलों में भी हजारों वक्फ संपत्तियाँ विवादित हैं। 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत ही वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, जो विशेष न्यायिक निकाय हैं। वर्तमान में, देशभर में वक्फ ट्रिब्यूनलों में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ प्रबंधन सँस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए हैं।

इतिहास के नक्षत्र महाराणा प्रताप

शिविर कुमार बोहरा

महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ सुदी ३ रविवार विक्रम संवत १५९७ (9 मई 1540) को हुआ। अपनी राणी भाटियाणी पर विशेष प्रेम होने के कारण महाराणा उदय सिंह ने उसके पुत्र जगमाल को अपना युवराज बनाया पर चुंड़ावत सरदार रावत कृष्ण दास व अन्य सरदारों ने महाराणा उदय सिंह के देहांत के पश्चात कुंवर प्रताप को पाट पर बिठाकर महाराणा घोषित किया, जिससे क्रुद्ध होकर जगमाल अकबर की सेवा में चला गया। अकबर की एक हार्दिक अभिलाषा मेवाड़ को अपने अधीन लाने की थी, जो महाराणा उदय सिंह जी के समय संभव नहीं हो पाई और मेवाड़ी वीरों का शौर्य चित्तौड़ में देखने के पश्चात अकबर अधिक साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह अवसर की प्रतीक्षा में था। और ऐसा ही एक अवसर उसे तब मिला जब आमेर कुंवर मानसिंह के गुजरात से लौटते समय उदयपुर में हुए प्रसंग से उपस्थित हुआ। कुंवर मानसिंह के सम्मान में उदयपुर में महाराणा ने एक भोज का आयोजन किया। उस भोज में महाराणा स्वयं नहीं गए और कुंवर अमरसिंह को भेज दिया ।

जब कुंवर मानसिंह ने महाराणा के उपस्थित नहीं होने का कारण पूछा, तो कुंवर अमर सिंह ने कहा महाराणा के पेट में दर्द है, अतः वह अभी नहीं आ पाएंगे, तब कुंवर मानसिंह भोजन बीच में ही छोड़ कर उठ गए और महाराणा को यह कहलाया कि आपका पेट के दर्द की चूरण मेरे पास है। हमने तो आपकी भलाई चाही पर अब आगे के लिए आप सावधान रहना। यह सुनकर महाराणा ने कहलवाया की जो आप अपने सैन्य सहित आएंगे, तो मालपुरा (मानसिंह के स्वयं के राज्य क्षेत्र) में हम आपका स्वागत सम्मान (युद्ध) करेंगे और यदि अपने फूफा अकबर के बल पर आएंगे, तो जहाँ मौका मिलेगा, वहीं पर आपका सत्कार(युद्ध) करेंगे। यह सुनकर मानसिंह अप्रसन्न होकर वहाँ से चला गया, इस प्रकार दोनों में वैमनस्य उत्पन्न हो गया। महाराणा मानसिंह को यवन संपर्क से दूषित समझकर भोजन तालाब में फेंकवा दिया और वहाँ की जमीन को खुदवा कर उस पर गंगाजल छिड़क दिया। (तब अन्य राजपूत सरदार भी स्नान करके वस्त्र बदले ऐसा भी किन्ही श्रोत में वर्णन मिलता है।)

अकबर एक राजपूत से दूसरे राजपूत को लड़वाना चाहता था और मानसिंह के रूप में उसे यह उचित अवसर मिल गया और अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में ही मानसिंह के निवेदन करने पर ही आसफ खान आदि अन्य सेनापतियों को साथ कर महाराणा पर चढ़ाई करने के लिए बड़ी सेना मेवाड़ पर भेजी।

मानसिंह ने खमनोर के समीप हल्दीघाटी से कुछ दूर बनास नदी के तट पर डेरा डाला और महाराणा भी अपनी सेना तैयार कर गोगुंदा से चले और मानसिंह से तीन कोष की दूरी पर ठहराव किया। महाराणा की सेना में ग्वालियर का राम सिंह तंवर अपने पुत्रों शालिवाहन, भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह सहित था व भामाशाह और उसका भाई ताराचंद कावड़िया, झाला मानसिंह,

झाला बीदा, सोनगरा मानसिंह, रावत कृष्ण दास (चुंड़ावत), रावत साँगा, मेरपुर का राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ आदि, आदि बड़े–बड़े योद्धा थे, इसके अतिरिक्त हकीम खान सूर मुगलों से लड़ने के लिए राणा की सेवा में आकर सम्मिलित हो गया।

जून 1576 में हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप और मान सिंह के सैन्य का आमना–सामना हुआ। ओझा जी ने अपने 'उदयपुर राज्य का इतिहास' ग्रन्थ में लिखा है कि उस युद्ध में अकबर का आश्रित अल बदायूनी भी उपस्थित था। उसने अपनी आँखों देखा जो वर्णन किया है, वह ऐसा हैं। "जब मानसिंह और आसिफ खान गोगुंदा से सात कोस पर दर्रे के पास शाही सेना सहित पहुँचे तो राणा लड़ने को आया। राणा कीका (प्रताप सिंह) ने दर्रे के पीछे से 3000 राजपूतों सहित आगे बढ़कर अपनी सेना के दो विभाग किए एक विभाग ने जिसका सेनापति हकीम सूर अफगान था, पहाड़ों से निकालकर हमारे हरावल पर आक्रमण किया। भूमि ऊंची–नीची रास्ते टेढ़े–मेढ़े और कांटो वाले होने के कारण हमारी हरावल में गड़बड़ी मच गई, जिससे हमारी हरावल की पूरी तौर से हार हुई। हमारी सेना के राजपूत जिनका मुखिया राजा लूणकरण था, भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकले और हरावल को चीरते हुए अपनी रक्षा के लिए दक्षिण पार्श्व की ओर दौड़े उस समय में (अल बदायूंनी) जो की हरावल के खास सैन्य के साथ आए आसिफ खान से पूछा कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे कर सकेंगे? तो उसने उत्तर दिया, तुम तो तीर चलाए जाओ, चाहे जिस पक्ष के आदमी मारे जावें, इस्लाम को तो उससे लाभ ही होगा। इसलिए हम तीर चलाते रहे और भीड़ ऐसी थी कि हमारा एक भी वार खाली न गया और काफिरों(हिन्दूवों) को मारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ।

राणा कीका के सैन्य के दूसरे विभाग ने जिसका संचालक राणा स्वयं था, घाटी से निकलकर काजी खान के सैन्य पर जो घाटी के द्वार पर था, हमला किया और उसकी सेना का संहार करता हुआ वह उसके मध्य तक पहुँच गया जिससे सब के सब सीकरी के शेखजादे भाग निकले और उनके मुख्य शेख मंसूर के जो शेख इब्राहिम का दामाद था, भागते समय एक तीर ऐसा लगा कि बहुत दिनों तक उसका घाव न भरा। काजी खान मुल्ला होने पर भी कुछ देर तक डटा रहा, परंतु दाहिने हाथ का अंगूठा तलवार से कट जाने पर वह भी अपने साथियों के पीछे भाग गया।

हमारी जो फौज पहले हमले में ही भाग निकली थी, वो नदी को पार कर पाँच–छह कोष तक भागती रही। इस तबाही के समय मिहत्तर खां अपनी सहायक सेना सहित चंदावल से निकल आया, उसने ढोल बजाया और हल्ला मचाकर फौज को एकत्र होने के लिए कहा। उसकी इस कार्यवाही से भागती हुई सेना में आशा का संचार कराया जिससे उसके पैर टिक गए। (सम्भवतः मिहत्तर खां ने स्वयं बादशाह अकबर के युद्ध भूमि में आने का शोर किया था, जिस से सेना रुके।) ग्वालियर के राजा मान के पोते रामसिंह ने जो हमेशा राणा की हरावल में रहता था, ऐसी वीरता दिखलाइ, जिसका वर्णन करना लिखने की शक्ति से बाहर है। मानसिंह के वे राजपूत जो हरावल के वामपार्श्व में थे, भागे, जिससे आसिफ खान को भी भागना पड़ा और उन्होंने दाहिने पार्श्व के सय्यदों की शरण ली। यदि इस अवसर पर सय्यद लोग टिके ना रहते, तो हरावल के भागे हुए सैनिकों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि बदनामी के साथ हमारी हार होती।

ऐसे समय लड़ाई प्रातःकाल से मध्याह्न काल तक चली और 500 आदमी खेत रहे, जिसमें 120 मुसलमान और शेष हिंदू थे, उस समय लू आग के समान चल रही थी। हमारे सैनिकों में चलने –फिरने की भी शक्ति ना रही और सेना में यह खबर फैल गई थी कि राणा छल के साथ पहाड़ के पीछे घात लगाए खड़ा होगा, इसी से हमारे सैनिकों ने राणा का पीछा ना किया। वे अपने डेरो में लौट गये और घायलों का इलाज करने लगे।" यह वर्णन अपनी पुस्तक में किया है।

अब आगे अल बदायूंनी लिखता है "दूसरे दिन हमारी सेना ने वहाँ से चलकर रणक्षेत्र को इस अभिप्राय से देखा कि हर एक ने कैसे काम किया, फिर दर्रे से हम गोगुंदा पहुँचे, जहाँ राणा के महलों के कुछ रक्षक तथा मंदिर वाले जिनकी सँख्या 20 थी, हिंदुओं की पुरानी रीति के अनुसार अपनी प्रतिष्ठा के निमित्त अपने–अपने स्थान से निकलकर आए और सब के सब लड़ कर मारे गए। अमीरों को यह भय था कि रात के समय कहीं राणा उन पर टूट ना पड़े, इसलिए अपनी रक्षा को उन्होंने सब मोहल्ले में आड़ खड़ी कर दी और गाँव के चारों तरफ खाई खुदवा कर इतनी ऊँची दीवार बनवा दी कि सवार उसको फांद ना सके। तत्पश्चात निश्चिन्त हुये। अब इस समय ना तो खाने के समान का बंदोबस्त है और ना ही पहाड़ी इलाके में अधिक अन्न पैदा होता है, ना ही बंजारे आते हैं और सेना भूखे मर रही है।

इससे वह खाने के समान के प्रबंध का विचार करने लगे फिर भी एक–एक अमीर की अध्यक्षता में सैनिकों को इस अभिप्राय से समय–समय पर भेजने लगे कि बाहर जाकर अन्न ले आवे और पहाड़ियों में जहाँ कहीं लोग एकत्र पाये जावें, उनको कैद कर ले। क्योंकि हर एक को जानवर के मांस और आम के फलों पर, जो वहाँ बहुत थे, निर्वाह करना पड़ता था। अब साधारण सिपाहियों को रोटी ना मिलने के कारण इन्हीं आम के फलों पर निर्वाह करना पड़ा, जिससे उनमें से अधिकांश बीमार पड़ गए। आगे अल बदायूनी लिखता है कि "मेरा मुर्शीदी का काम तो यहीं समाप्त हो चुका, अब मुझे बादशाह की सेवा में रहकर वहाँ काम देना चाहिए इस पर मान सिंह ने 300 सवारों को साथ देकर हाथी के साथ मुझे वहाँ से रवाना किया और वह भिन्न–भिन्न जगह थाने नियत कर गोगुंदा से 20 कोष मोही गाँव तक शिकार खेलते हुआ मेरे साथ रहा। वहाँ से एक सिफारीसी पत्र देकर उसने मुझे सीख दी। मैं बाकोर (बगोर) और मांडलगढ़ होता हुआ आम्बेर पहुँचा। लड़ाई की खबर सर्वत्र फैल गई थी, लेकिन मार्ग में उसके संबंध में मैं जो कुछ भी कहता, उस पर लोग विश्वास नहीं करते थे। अकबर के आश्रित अल बदायूंनी के वर्णन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध का परिणाम क्या रहा होगा? किसका पक्ष प्रबल रहा और किस पर भय छाया होगा?

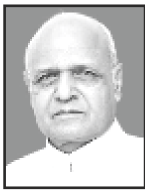

प्रोफेसर भगवती प्रकाश

चित्र : महाराजा रणजीत सिंह जी का युद्धकालीन सैन्य ध्वज–'मध्य में दश–भुज माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी और धनुर्धर लक्ष्मण जी'

लाहौर पर दोहरी विजय की कीर्ति गाथा

लाहौर पर सात सौ वर्षों के दमनकारी विदेशी आक्रान्ताओं के शासन के बाद, अठारहवीं सदी में 4 दशकों के अन्तराल पर अप्रैल मास में ही मराठा सेनापति रघुनाथ राव और महाराजा रणजीत सिंह की लाहौर विजय के बाद अप्रैल मास में ही उनके सार्वजनिक अभिनन्दन की दोहरी गौरव गाथा स्वराज के इतिहास की अपूर्व घटनाएँ हैं। लाहौर के विगत 1000 वर्षों के इतिहास में समाज की पहल पर ऐसे नागरिक अभिनन्दन कभी नहीं हुए। लाहौर विजय पर 12 अप्रैल 1801 को महाराजा रणजीत सिंह के अभिनन्दन के 225वें वर्श में प्रवेश कर रहे हैं। पेशवानीत हिन्दवी स्वराज के परिसंघ की अप्रैल, 1758 में लाहौर विजय के बाद 20 अप्रैल 1758 को वहाँ की जनता द्वारा विजयी मराठा सेनापति रघुनाथ राव और मल्हार राव का अभूतपूर्व नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके 43 वर्ष बाद ही 12 अप्रैल 1801 को ऐसा ही अभिषेक व नागरिक अभिनंदन महाराजा रणजीत सिंह की लाहौर विजय के बाद किया गया था। जुलाई 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर विजय कर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। स्वराज के मराठा सेनापतियों द्वारा अब्दाली को हटा सरहिन्द, लाहौर, मुलतान, पेशावर व अटक पर 1758 में पेशवानीत स्वराज परिसंघ का भगवा ध्वज फहराने के 41 वर्ष बाद महाराजा रणजीत सिंह का माँ दुर्गा सहित हनुमान जी व लक्ष्मण जी की छवि से युक्त युद्ध ध्वज का लाहौर पर फहराना दूसरी रोमांचक व गौरवमयी घटना थी। महाराजा रणजीत सिंह के युद्ध के प्रयुक्त ध्वज में मध्य में दश भुजा माँ दुर्गा व उनके आगे व पीछे क्रमशः वीरवर हनुमान जी व लक्ष्मण जी की छवि अंकित हुआ करती थी।

महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लाहौर में राजधानी बनाना

महाराजा रणजीत सिंह ने 7 जुलाई 1799 को लाहौर पर विजय पाई और तब 12 अप्रैल 1801 को उनका वहाँ अत्यन्त भव्य अभिषेक हुआ। लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और पश्चिम में खैबर के दर्रे तक एवं उत्तर में जम्मू कश्मीर तक अपना राज्य विस्तार किया। उन्होंने भी पचास वर्ष तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सतलज से आगे नहीं बढ़ने दिया और उनके बाद ही 1838 में उनके अल्पवयस्क पुत्र को अपदस्थ करके ही अँग्रेज लाहौर पर नियन्त्रण कर पाये थे।

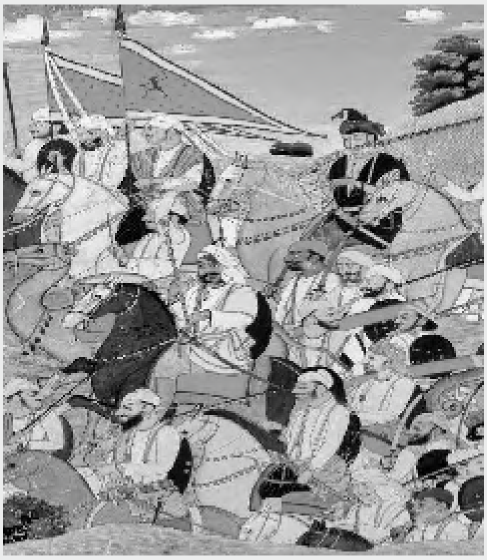

सरहिन्द, लाहौर, पेशावर मुल्तान व अटक पर भगवा ध्वज

दिल्ली को अफगानों से मुक्ति दिलाने के लिए 11 अगस्त 1757 को स्वराज की मराठा सेना ने दूसरी बार दिल्ली पर ऐतिहासिक विजय पायी थी और अन्ताजी मानकेश्वर को दिल्ली का सर्वाधिकारी बना कर वे सिन्धु पार खैबर के दर्रे तक स्वराज का ध्वज फहराने आगे बढ़ गये थे। मार्च 1758 में स्वराज की सेनाओं ने सरहिन्द के किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया था, जहाँ गुरु गोविन्द सिंह के 7 व 5 वर्ष आयु के साहेबजादों जोरावर सिंह व फतेह सिंह को इस्लाम कबूल न करने पर 26 दिसम्बर, 1704 को जीवित दीवार में चिनवा दिया था। अप्रैल, 1758 में मल्हार राव होलकर व रघुनाथ राव ने लाहौर पर भी विजय पा कर लाहौर के किले पर स्वराज का भगवा ध्वज फहरा दिया था। लाहौर विजय पर 20, अप्रैल 1758 को वहाँ के नागरिकों ने रघुनाथ राव का वहाँ शालीमार बाग में ऊँचे मंच पर भव्य नागरिक अभिनंदन किया। इसके बाद विद्युत गति से आगे बढ़कर तुकोजी होल्कर ने अटक एवं पेशावर को विजय कर खैबर के दर्रे तक सिन्धु पार स्वराज का भगवा ध्वज लहरा दिया था। तब दक्षिण एशिया के आधे से अधिक भाग पर पेशवानीत स्वराज का भगवा ध्वज फहराने लगा था।

आतंकियों की बची-खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है- नरेन्द्र मोदी

मुरारी शरण शुक्ल
सह सम्पादक हिन्दू विश्व

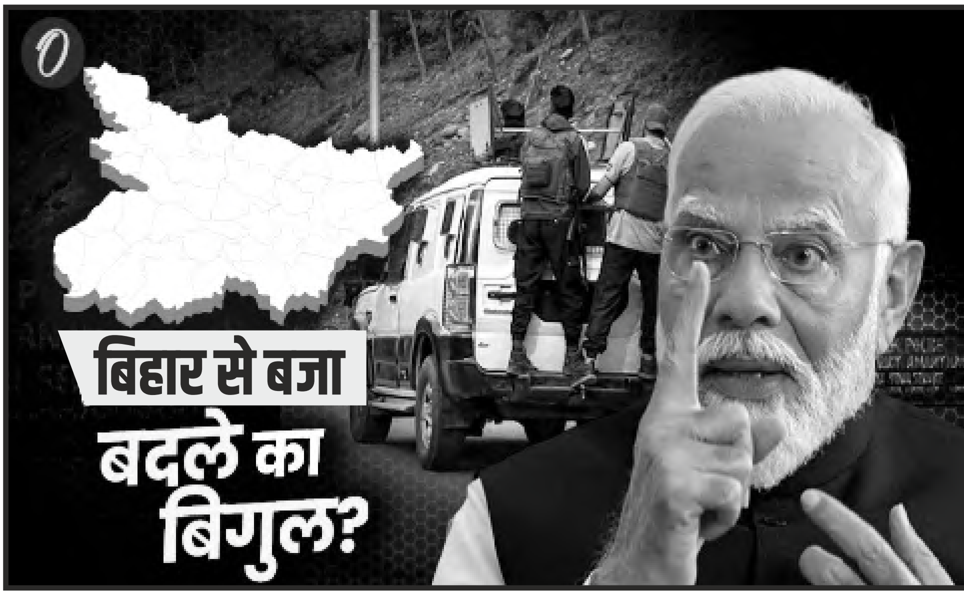

बिहार के मधुबनी से पीएम मोदी का जंग–ए–ऐलान

24 अप्रैल 2025 को दोपहर में बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने विश्व समुदाय को अँग्रेजी में सम्बोधित करते हुए कहा कि सारे आतंकियों को सजा देगा भारत, आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे।

बिहार से पीएम मोदी

22 अप्रैल को जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि–कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है। वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवनसाथी खोया। इनमें से कोई बाँग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख और आक्रोश एक जैसा है।

भारत की आत्मा पर हमला आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे

पीएम मोदी ने कहा कि यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने यह हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची–खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी।

दुनियाँ हमारे साथ खड़ी है हम उनके शुक्रगुजार

आज बिहार की सरजमीं से मैं पूरी दुनियाँ से यह कहना चाहता हूँ कि भारत इन लोगों की पहचान करेगा, उन्हें ढूंढेगा और हर आतंकी तथा उनकी मदद करने वालों को सजा देगा। हम उन्हें पृथ्वी के अंतिम छोर तक खदेड़ देंगे। भारत की आत्मा को आतंकवाद कभी नहीं तोड़ सकता। इंसाफ मिले, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इस दुनियाँ में जो भी इंसानियत के पक्ष में है, वह हमारे साथ है। इस वक्त दुनियाँ में जो हमारे साथ खड़ा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं।

हर आतंकी को सजा देगा भारत

सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। भारत की आत्मा पर हमला हुआ। कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। जिन्होंने हमला किया वो बचेंगे नहीं। आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़ देंगे। आतंकियों की बची–खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति आतंकियों की कमर तोड़कर रहेगी। बिहार की भूमि से पूरी दुनियाँ को बता रहा हूँ कि भारत सारे आतंकियों को सजा देगा।

पहलगाम में आतंकी हमला

पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को लश्कर–ए–तैय्यबा के पाँच हथियारबंद आतंकवादियों ने वहाँ पर्यटन के लिए आए 27 हिन्दूओं को उनका धर्म पुछ–पुछकर गोली मार दिया। इस्लामिक आतंकियों ने आकर यात्रियों से पुछा कि हिन्दू हो या मुसलमान? जिन लोगों ने भी कहा हिन्दू, तो सुनते ही आतंकियों ने कहा कि मार दो और गोली मार दी। जिन लोगों ने बताने में डरकर देर की, उनको कलमा पढ़ने को कहा गया, कलमा न पढ़ पाये, तो गोली मार दी गई, कुछ पर्यटकों के पैंट उतरवाकर देखा गया कि उनका सुन्नत हुआ है कि नहीं, सुन्नत नहीं हुआ है, यह जानते ही गोली मार दिया गया। 27 हिन्दू पुरुषों की हत्या करने वाले आतंकियों से हिन्दू महिलाओं ने कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया, अब मुझे भी

गोली मार दो, तो आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बता दो कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया। टीआरएफ और लश्कर–ए–तैय्यबा ने लिया है इस घटना की जिम्मेदारी।

बैसरन घाटी और पहलगाम कहाँ है?

पहलगाम शहर अनन्तनाग जिले के 11 तहसीलों में एक पहलगाम तहसील का मुख्यालय है। पहलगाम ही वह स्थान है, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा आरम्भ होती है। यह लीड्डर नदी के तट पर समुद्र तल से 7200 फिट की ऊँचाई पर स्थित है। बैसरन घाटी इस पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 8000 फिट की ऊँचाई पर स्थित है। अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के लिए बैसरन घाटी को मिनि स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पाईन के घने जंगलों और पीर पांजाल रेंज की बर्फ से आच्छादित चोटियों से घिरा हुआ है।

पहलगाम से बैसरन जाने की सुविधा

पहलगाम से बैसरन घाटी जाने के लिए केवल घोड़ा और खच्चर की ही सुविधा उपलब्ध है। पहलगाम के मुख्य बाजार से खच्चर–घोड़े मिलते हैं, स्थानीय भेंडर्स और एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। यहाँ पहाड़ों से होकर गुजरने वाले रास्ते बड़े संकरे, धुल भरे तो कहीं कीचड़ भरे उबड़–खाबड़ है। इसीलिए यहाँ खच्चर और घोड़े से यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। इस घाटी की अद्भुत सुन्दरता के कारण लोग यहाँ आते हैं।

टीआरएफ क्या है?

TRF को हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर–ए–तैय्यबा के कैडर के साथ बनाया गया था। केन्द्र सरकार इसे लश्कर–ए–तैय्यबा का प्रॉक्सी संगठन मानती है। द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नया आतंकी संगठन है, जो अगस्त 2019 में धारा 370 हटने के बाद उभरा। TRF का आरम्भ लश्कर–ए–तैय्यबा की ऑनलाइन ईकाई के रूप में हुआ था, जो बाद में पुर्ण आतंकी समुह बन गया। 2022 में जम्मू–कश्मीर में कुल 172 आतंकी मारे गए, उनमें 108 TRF से थे।

भारत की तैयारी

कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्यूरीटी (CCS) की बैठक हो चुकी है। सिन्धु का जल रोक दिया गया है। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास से कई अधिकारियों को अवांछित घोषित करके भारत छोड़ देने को कहा गया है। पाकिस्तान में स्थित अपने दूतावास से लोगों को बुला लिया गया है। पाकिस्तानियों की बीजा सेवा बंद कर दिया गया है, उनको मिला हुआ बीजा रद्द कर दिया गया है और देश छोड़कर वापस जाने को कह दिया गया है। अटारी बार्डर बंद कर दिया गया है। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियों की संयुक्त बैठक हो चुकी है, रॉ, आईबी और गृह सचिव की बैठक हो चुकी है। सेना हाई एलर्ट पर है पहले ही दिन से। नौसेना ने अरब सागर में अपनी युद्धक तैयारी के लिए युद्धाभ्यास आरम्भ कर दिया है।

सरकार बहुत गम्भीर

सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर तुरंत रवाना हो गए। पीएम मोदी खुद सऊदी अरब के जेद्दा की अपनी यात्रा को छोटा कर नई दिल्ली लौट आए।

भारत का सफल मिसाईल परीक्षण

भारत ने अपने युद्धपोत आईएनएस सूरत डिस्ट्रायर से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाईल का किया है सफल परीक्षण। 70 किलोमीटर तक लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इस परीक्षण से डरकर पाकिस्तान ने अपनी नौसेना को अलर्ट कर दिया है।

हमला की जड़ में है पाकिस्तान

यह आतंकी हमला 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर के इस्लाम और कश्मीर पर दिए गए बयान के मद्देनजर हुआ है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान पहले से ही इस आतंकी हमले की योजना बना रहा था और यह भारत पर सीधा हमला है, ताकि 'भारत पर इस्लामी विचारधारा का दावा किया जा सके। अतः, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के मूल कारण को संबोधित करने का समय आ गया है, जो कि पाकिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व, पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथी, प्रेरित तत्व हैं।

भारत के ऐक्शन से घबराया पाकिस्तान

पाकिस्तान ने कराची के आर्थिक क्षेत्र में सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण का ऐलान किया है। सम्बन्धित भारतीय एजेंसियाँ सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही हैं। पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन्स को पीओके की ओर शिफ्ट किया है। पीओके समेत अपने कई शहरों को हाई एलर्ट पर रखा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से डर गया है पाकिस्तान।

murari.shukla@gmail.com

मा. आलोक जी का संत दर्शन प्रवास

नासिक, 4 अप्रैल। संत सान्निध्य में समाज प्रबोधन : मा. आलोक कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद, ने 9 से 12 अप्रैल 2025 तक महाराष्ट्र संत दर्शन प्रवास के माध्यम से हिंदू समाज में धर्म, संस्कृति और एकता की अलख जगाई। यह यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं थी, बल्कि संतों के सान्निध्य में समाज को जागृत करने और विश्व हिंदू परिषद के कार्य को सशक्त करने का एक प्रेरक अभियान थी। चार दिनों के इस प्रवास में, जिसमें संतों का दर्शन, उनके सानिध्य में रहना, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना, परिषद के चल रहे कार्य को उनका मार्गदर्शन लेना, यह बिंदू केंद्र में रखे गये थे।

प्रवास का संकल्प

आलोक कुमार जी का यह प्रवास हिंदू समाज के नवजागरण और विश्व हिंदू परिषद के कार्य को गति देने का एक पवित्र संकल्प था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे संतों के सान्निध्य में समाज प्रबोधन, संतों के मार्गदर्शन से समाज में धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता लाना। धर्मांतरण रोकथाम–हिंदू परिवारों को धार्मिक शिक्षा और संस्कारों से सशक्त करना। मंदिर स्वायत्तता–मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की माँग को जन–जागरण से जोड़ना। युवा और ग्रामीण उत्थान–गाँवों और नई पीढ़ी में रामायण के आदर्शों का भाव जागृत करना। सामाजिक समरसता– हिंदू समाज को एकजुट कर राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करना। विश्व हिंदू परिषद का विस्तार–संतों का मार्गदर्शन और सहाय्य लेकर परिषद के कार्य को व्यापक करना।

प्रथम दिन–नाशिक–त्र्यम्बकेश्वर –संत परंपरा का शुभारंभ (9 अप्रैल 2025) प्रवास की शुरुआत नाशिक के पवित्र कैलास मठ में एक भव्य संत सभा से हुई। स्वामी संविदानंदजी, महामंडलेश्वर रामकृष्ण लव्हीतकर महाराज, स्वामी विश्वरूपानंदजी, पूज्य ज्ञानेश्वर महाराज और माधवदास राठी महाराज जैसे संतों ने सभा को आलोकित किया। आलोक जी ने संतों को विश्व हिंदू परिषद के कार्य से जोड़ते हुए कहा, संत समाज की आत्मा हैं, उनका मार्गदर्शन परिषद के कार्य को नई दिशा देगा। चर्चा के केंद्र– 2025 कुंभ मेला की तैयारियों पर विचार–विमर्श हुआ। माधवदास राठी महाराज ने इसे सांस्कृतिक संगम बताया। विश्व हिंदू परिषद के कार्य को संतों के सहाय्य से ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने का संकल्प लिया गया। आलोक जी को हिंदी ज्ञानेश्वरी भेंट की गई, जो संत परंपरा की अमरता का प्रतीक थी। इसके बाद, त्र्यम्बकेश्वर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। निवृत्तीनाथ महाराज की समाधि पर नतमस्तक होकर आलोक जी ने संतों के त्याग से प्रेरणा ली। फरशीवाले बाबा आश्रम में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में धर्मांतरण रोकथाम पर चर्चा हुई। बाबा ने कहा, संतों का सान्निध्य परिषद के कार्य को बल देता है। यहाँ परिषद के कार्यकर्ताओं को संतों के सहाय्य से जनजागरण बढ़ाने का मार्गदर्शन मिला। दिन का एक हृदयस्पर्शी पड़ाव था हरसुल ग्राम छात्रावास, जहाँ आलोक जी ने छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने कहा, बेटियाँ संस्कृति की धरोहर हैं, उन्हें रामायण और वेदों का ज्ञान दें। परिषद की शिक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि संतों के मार्गदर्शन से यह कार्य व्यापक हो। दिन के अंत में बोंडारमाळा, होमपाडा, कोळष्टी गाँवों में जनसभाएँ हुईं। 250 से अधिक ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 50 से अधिक मातृशक्तियों ने रंगोली से स्वागत किया। आलोक जी ने कहा, रामायण के आदर्श गाँवों को जोड़ें– परिषद का कार्य इन्हीं गाँवों से सशक्त होगा।

द्वितीय दिन– नाशिक से पैठण– धर्म और एकता का प्रसार– (10 अप्रैल 2025) दूसरे दिन की शुरुआत नाशिक के स्वामीनारायण मंदिर से हुई, जहाँ पुजारी ने मंदिर के इतिहास से अवगत कराया। इसके बाद काळाराम मंदिर में महंत सुधीरदासजी के साथ पूजा–अर्चना हुई। आलोक जी ने यहाँ परिषद के कार्य को संतों के सहाय्य से मंदिरों के माध्यम से जन–जन तक ले जाने का संकल्प दोहराया। कोपरगांव में संत जनार्दन स्वामी की समाधि पर नतमस्तक होकर आलोक जी ने संतों के जीवन से प्रेरणा ली। स्वामी रमेश गिरीजी की अध्यक्षता में हुई सभा में उन्होंने समाज की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने चेताया, हिंदू परिवार के बच्चों को धर्म का गौरव सिखाएँ, वरना वे भटक सकते हैं। यहाँ संतों ने परिषद के कार्य को परिवार प्रबोधन तक ले जाने का मार्गदर्शन दिया। प्रवास पैठण पहुँचा, जहाँ संत एकनाथ महाराज की समाधि पर नमन कर आलोक जी ने उनके समरसता के संदेश को मानवता के सुख का केंद्र बताया। पुष्कर महाराज गोसावी के आश्रम में आयोजित सभा में सामाजिक एकता और परिवार प्रबोधन पर विचार हुआ। आलोक जी ने कहा, संत एकनाथ का जीवन परिषद के कार्य

के लिए प्रेरणा है। यहाँ परिषद के कार्य को संतों के सहाय्य से और व्यापक करने की योजना बनी। दिन का समापन शेवगांव के नजदीक आँखेगांव में स्थित झुंझुर के महाराज आश्रम में हुआ। संतों ने हिंदू व्यापार और स्वावलंबन पर जोर देते हुए कहा, हिंदू समाज अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाए। आलोक जी ने संतों के इस मार्गदर्शन को परिषद के कार्य में शामिल करने का आह्वान किया।

तृतीय दिन– पंढरपुर–कोल्हापुर– परंपरा की रक्षा, प्रगति का मार्ग– (11 अप्रैल 2025)तीसरे दिन प्रवास पंढरपुर की पवित्र भूमि पर पहुँचा। विठ्ठल–रुक्मिणी मंदिर में दर्शन के बाद पंढरपुर कॉरिडोर योजना पर संतों की चिंता सामने आई। आलोक जी ने दृढ़ता से कहा, मंदिर की परंपराएँ संतों की सहमति के बिना बदली नहीं जाएँगी। परिषद के कार्यकर्ताओं को संतों के सहाय्य से इस मुद्दे पर जनजागरण करने का मार्गदर्शन मिला। इसके बाद प्रवास कोल्हापुर के सिद्धगिरी संस्थान में पहुँचा। यहाँ गोशाला, ग्राम संग्रहालय और लखपती खेती जैसे प्रकल्प ग्रामीण उत्थान का प्रतीक बने। धर्मांतरण रोकथाम पर चर्चा में आलोक जी ने बताया, परिषद ने 850 प्रखंडों में कार्यकर्ता तैनात किए हैं। संतों ने इस कार्य को और व्यापक करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे परिषद की पहुँच और सशक्त हुई।

चतुर्थ दिन– सांगली–सज्जनगढ़ – भक्ति और राष्ट्रसेवा का समापन– (12 अप्रैल 2025)अंतिम दिन सांगली के कोटणीस महाराज आश्रम में 125 वर्ष पुरानी कीर्तन परंपरा ने सभी को भावविभोर किया। आलोक जी ने इस परंपरा को परिषद के प्रबोधन कार्य से जोड़ने की प्रेरणा दी। सतारा में संतों की सभा में मंदिर स्वायत्तता का मुद्दा प्रमुखता से उठा। आलोक जी ने कहा, मंदिरों की स्वतंत्रता परिषद का प्रमुख लक्ष्य है। संतों ने इस माँग को जन–जागरण से जोड़ने का मार्गदर्शन दिया, जिससे परिषद का कार्य और सशक्त हुआ। प्रवास का समापन सज्जनगढ़ में हनुमान जयंती के अवसर पर हुआ। समर्थ रामदास स्वामी की समाधि पर नतमस्तक होकर आलोक जी ने उनके राष्ट्रसेवा के संदेश से प्रेरणा ली। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हनुमान जी हमें बल और निस्वार्थ सेवा सिखाते हैं। संतों ने परिषद के कार्य को इस भावना से जोड़ने का मार्गदर्शन दिया।

प्रवास का प्रभाव–आलोक कुमार जी का यह प्रवास हिंदू समाज में एक नवजागरण की शुरुआत बना। संतों के सान्निध्य में समाज ने धर्म और सँस्कृति का गहरा बोध प्राप्त किया। विश्व हिंदू परिषद का कार्य संतों के मार्गदर्शन और सहाय्य से और व्यापक हुआ, जिससे धर्मांतरण रोकथाम, मंदिर स्वायत्तता और परिवार प्रबोधन के प्रयासों को बल मिला। गाँवों और युवाओं में हिंदुत्व का आत्मविश्वास जागा और सामाजिक समरसता का संदेश गहरा हुआ। आलोक जी का यह कथन प्रवास का सार है– संतों की प्रेरणा से समाज जागता है और जागृत समाज परिषद के कार्य को राष्ट्र निर्माण की शक्ति बनाता है। यह यात्रा संतों, कार्यकर्ताओं और जनता के बीच एक अटूट सेतु बनाकर हिंदू पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक अध्याय रची।

लेखक : संजय मुद्राले, धार्मिक पुंज प्रमुख, मुंबई क्षेत्र

विश्व हिंदू परिषद राम महोत्सव शुभारंभ
अशोकनगर के गांधी पार्क में भगवान राम का भव्य दरबार सजा

राम महोत्सव समिति के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रत्येक वर्ष गांधी पार्क पर भगवान राम जी की झांकी लगाई जाती है, राम दरबार सजाया जाता है। इस नव वर्ष 30 मार्च को नव संवत्सर के शुभ अवसर पर झांकी का शुभारंभ किया गया। भगवान राम की आरती का सौभाग्य पंजाबी समाज के अध्यक्ष ताजिंदर खुराना सपरिवार पत्नी बेटी, संजय सलूजा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश जैन भाभी अनीता जैन द्वारा भगवान राम की आरती कर धर्म लाभ लिया गया। 9 दिनों में प्रत्येक दिन धार्मिक आयोजन किया गया, 31 मार्च को दीप यज्ञ किया गया, सभी लोग 8.00 बजे इस आयोजन में भाग लिए, 1 अप्रैल मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया सभी राम भक्त भाग लिया, 2 अप्रैल बुधवार को कवि सम्मेलन हुआ, 3 अप्रैल को बच्चों के सांस्कृततिक कार्यक्रम हुआ, 4 अप्रैल को अखाड़ा प्रदर्शन हुआ, 5 अप्रैल को भजन संध्या हुई, 6 अप्रैल को भगवान् राम जी की शोभायात्रा हनुमान गंज मंदिर से निकाली गई। कार्यक्रम के संयोजक विकास जैन बल्ली ने बताया कि सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने पधारकर धर्म लाभ लिया।

असली वंशलोचन खा लिया तो कभी नहीं होगी कैल्शियम की कमी

वंशलोचन के फायदे.....
वंशलोचन एक प्राकृतिक कैल्शियम है, जो कि बांस के पौधे से प्राप्त होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से इसका उपयोग कई प्रकार की दवाईयाँ बनाने में किया जाता है। वंशलोचन बांस के पौधे में पाया जाता है। ये बांसों की गांठों में जम जाता है और बांस को काटकर इसके अंदर से निकाला जाता है। वंशलोचन दिखने में सफेद मिश्री के दाने जैसा होता है। इसका चूर्ण भी बाजार में उपलब्ध होता है, लेकिन इसको खरीदते समय इसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें।

कफ की समस्या के लिए.....
10 साल से कम उम्र के बच्चों को आधा ग्राम वंशलोचन के चूर्ण में 2 चम्मच शहद मिलाकर देने से उनकी कफ की समस्या खत्म हो जाती है।

अस्थमा पीड़ितों के लिए....
जिन लोगों को दमे यानि अस्थमा की समस्या रहती है, उनके लिए भी ये अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। 20–20 ग्राम मात्रा में वंशलोचन और पीपल को अच्छी तरह से पीस लें और फिर इस चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा में एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लें। जल्द ही अस्थमा की समस्या खत्म हो जाती है।

गर्भपात की समस्या के लिए.....
कई महिलाओं का गर्भ नहीं टिक पाता है, अतः उन्हें आधा ग्राम वंशलोचन को दूध या पानी के साथ खाना चाहिए। इससे गर्भपात की समस्या खत्म हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान भी वंशलोचन का सेवन करने से बच्चे का स्वास्थ अच्छा होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन करने से बच्चे का रंग अत्यधिक गोरा हो जाता है।

हाथ–पैरों में जलन के लिए....
जिन लोगों के हाथ या पैरों में लगातार जलन रहती है, उन्हें 1 ग्राम वंशलोचन में 1 चम्मच शहद मिलाकर लेना चाहिए। इससे जलन में आराम मिलता है और धीरे–धीरे ये परेशानी जड़ से खत्म हो जाती है।

मुँह के छालों के लिए.....
अक्सर बाहर का भोजन ग्रहण करने से पेट में छाले पड़ जाते हैं। ऐसे में वंशलोचन का एक चुटकी चूर्ण लें, उसको शहद में मिलाकर छालों पर लगाने से ये ठीक हो जाते हैं।

बच्चों के लिए....
यदि बच्चों को मिट्टी खाने की आदत है, तो वंशलोचन के चूर्ण में शहद मिलाकर इसकी गोलियाँ बना लें और प्रतिदिन दो गोलियाँ बच्चे को खिलाएँ। बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी।

हड्डियों में दर्द के लिए.....
कमजोर हड्डियों और मांसपेशियों के दर्द के लिए ये अत्यंत लाभकारी है। अक्सर रात में पैरों में दर्द की समस्या भी इससे दूर हो जाती है। इसके लिए एक चम्मच वंशलोचन का चूर्ण लेकर उसे आधा ग्लास दूध के साथ पीने से आराम मिलता है।

कब ना करें इस्तेमाल ?....
पथरी की समस्या से जूझ रहे लोगों को इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। कैल्शियम की अधिक मात्रा होने पर हाइपरकैलेसीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे शरीर में भारीपन और सिरदर्द रहने लगता है, इसलिए अपने चिकित्सक के परामर्श पर ही इसका सेवन करें।

मुर्शिदाबाद घटना की हो एनआईए से जांच : आलोक कुमार’

कोलकाता, 18 अप्रैल, 2025। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंदुओं की नृशंस हत्या, उपद्रव, आगजनी, हिंसा, लूटपाट और बड़े पैमाने पर पलायन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आज कहा है कि विरोध प्रदर्शन तो देश भर में होते हैं, लेकिन हिंसा और हिंदुओं पर हमले व्यापक पैमाने पर बंगाल में ही क्यों होते हैं ? उन्होंने मुर्शिदाबाद की संपूर्ण घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से जांच की मांग करते हुए कहा कि मालदा में राहत शिविरों में रहने को मजबूर हिंदू समाज की सहायता के लिए आगे आने वाली सँस्थाओं को सेवा से रोकना भी एक अमानवीय कृत्य है।

कोलकाता के अलीपुर स्थित भाषा भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विहिप अध्यक्ष ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि हिंदुओं पर जगह–जगह हो रहे जिहादियों के हमलों पर मौन साधे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह तो कहती हैं कि ये हमले पूर्व नियोजित थे, जिनमें विदेशी बाँग्लादेशियों का हाथ है और यह मामला अंतरराष्ट्रीय है, किंतु, फिर भी वे घटना की NIA से जांच की मांग क्यों नहीं करतीं ? हमारा मानना है कि पीड़ित हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए और हमलावर जिहादियों को कठोर दंड। जिनकी संपत्ति लूटी गई है, जलाई गई है या खंडित की गई है, उसकी अविलंब भरपाई हो और राज्य में हिंदुओं को सुरक्षा मिले।

श्री आलोक कुमार ने यह भी कहा कि किसी ना किसी मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं, किंतु, उन प्रदर्शनों के नाम पर हिंदुओं पर हमले और उनकी नृशंस हत्याएँ पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में एक चलन सा बन गई है। यह सरकारी उदासीनता व ऐसे अतिवादी और सामाजिक तत्वों को सत्ताधारी दल के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के बिना संभव नहीं है। अतः इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि विरोध चाहे किसी से भी हो प्रदर्शकारी हिंदुओं को ही टारगेट क्यों करते हैं ?

मुर्शिदाबाद से मालदा में निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हिंदू समाज की दुखती रग पर मरहम लगाने या उन्हें सांत्वना देने की बात तो दूर, सरकार द्वारा उन पीड़ित हिंदू बहन, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों व अन्य लोगों की सहायतार्थ जो समाज सेवी संगठन आगे आए थे, उनको भी खाना, पानी, भोजन या अन्य प्रकार की जीवन की जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहे थे, उस पर भी शासन का कहर टूट पड़ा। कल से उनको भी सहायता करने से शासन ने मना कर दिया गया है। वे कहते हैं कि राहत सामग्री हमें दो। हम सामग्री बाटेंगे। यह किस तरह का व्यवहार है ? क्या यह मानवीय जीवन मूल्यों से एक खिलवाड़ नहीं! यदि शासन को खुद ही बांटना होता, तो फिर समाज सेवी संस्थाओं को आगे ही क्यों आना पड़ता।

उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे पीड़ित परिवारों को, सरकार अपनी कमी छुपाने के लिए, जबरन मुर्शिदाबाद वापस भेज रही है। जबकि परिवार कह रहे हैं कि जब तक वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था न हो हमारा जीवन खतरे में है। हम जान जोखिम में डाल कर वहाँ नहीं जाएंगे। किंतु, राज्य सरकार द्वारा हिंदुओं को जबरन उन भेड़ियों के सामने फेंकना, क्या उन्हें जीते जी मारने जैसा नहीं? अपने इस निर्णय पर राज्य सरकार पुनर्विचार करे।

vhpintlhqs2@gmail.com

चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय मठ में विहिप अध्यक्ष का प्रवास

अपने बंगाल प्रवास के दौरान मैं दो रात्रि गौड़ीय मठ में रहा। इस मठ की स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। यह मठ राधा गोविंद जी की पूजा और उनके प्रति संपूर्ण समर्पण की मांग करता है। जीवन के प्रत्येक कार्य को और मन के प्रत्येक विचार को श्री राधागोबिंद को समर्पित करना होता है। श्रील गोस्वामी जी की 150 वीं जयंती पर भारत सरकार ने एक सिक्का और डाक टिकट भी निकाला था। इसके वर्तमान प्रमुख हैं श्रील भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी जी महाराज। हमारी आपसे भेंट हुई और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की अवस्था पर गंभीर विचार कर आगे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दो दिन यहाँ रुक कर मुझे भक्ति और शांति प्राप्त हुई।

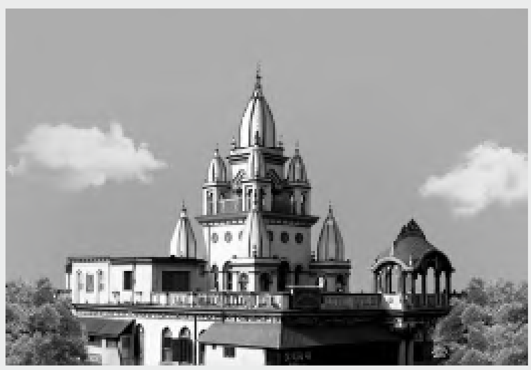

‘वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर हिंसा व उपद्रव हेतु उकसाने तथा ‘मुस्लिम इंडिया’ बनाने के दिवास्वप्न से बाज आएँ मुस्लिम बुद्धिजीवी : विहिप’

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2025। वक्फ बोर्ड अधिनियम के पारित होने के बाद से ही कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी नेता व संगठन देश के मुसलमानों को भड़काने, बरगलाने व हिंसा के लिए उकसाने में सतत् रूप से सक्रिय हैं। झूठ फैलाकर दुष्प्रचार करने वाली इस गैंग में अब कुछ कथित मुस्लिम बुद्धिजीवी भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने हाल ही में एक पत्र देश के मुस्लिम सांसदों को लिखा है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख श्री विजय शंकर तिवारी ने आज कहा कि यह पत्र मिथ्या प्रचार कर मुस्लिम समाज को हिंसा व देश विरोध के लिए प्रेरित करने के साथ संसदीय व्यवस्था तथा संविधान का सीधा–सीधा उल्लंघन है। इस पत्र के माध्यम से उनके ‘मुस्लिम इंडिया’ बनाने के मंसूबों की भी कलई खुल गई है, जो सपना कभी कट्टरपंथी नेता सैयद शहाबुद्दीन ने भी देखा था। पत्र में अल्पसँख्यक अधिकारों की रक्षा की तो बात की है, किंतु उसमें नाम सिर्फ मुसलमानों का लिया है। इसमें ‘मुस्लिम समाज का गला घोंटने’ और ‘मुसलमानों के गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए संघर्ष’ करने के लिए उकसाने की बात की है। पत्र में ‘मुसलमानों की सामूहिक आवाज को बुलंद’ कर संसद के अंदर व बाहर प्रदर्शन व संसद के बहिष्कार की अपील भी की है, जिससे ‘देश–विदेश की मीडिया का रणनीतिक रूप से ध्यान आकृष्ट किया जा सके।’

श्री तिवारी ने कहा है कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पत्र के हस्ताक्षरकर्ता सिर्फ कट्टरपंथी मुस्लिम नेता या जिहादी संगठन नहीं, अपितु, उनके साथ भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता की शपथ खाकर विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस, सैन्य अधिकारी, अल्पसँख्यक आयोग के चेयरमैन, विश्व विद्यालयों के कुलपति, वक्फ बोर्ड के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता व पत्रकार बने लोग भी शमिल हैं। इन सब के लिए देश से बड़ा मजहब है, जिसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें पता है कि जब मुस्लिम कट्टरपंथी सड़कों पर उतरते हैं, तो हिंसा, उपद्रव व आगजनी के अलावा कुछ नहीं करते, फिर भी उन्हें इसके लिए उकसा रहे हैं।

विहिप ने यह भी कहा कि मजहबी आधार पर भारत के एक और विभाजन व ‘मुस्लिम इंडिया’ बनाने का इनका दिवास्वप्न तो कभी पूरा नहीं होगा, किंतु हां इनके इस भड़कावे के परिणाम स्वरूप देश भर में यदि कुछ उपद्रव हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी इन सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को लेनी होगी और

सम्पूर्ण देश के समक्ष ये अपराधी के रूप में खड़े होंगे। विहिप ने कहा कि यह स्मरण रखना चाहिए कि इन कथित मुसलमानों के अलावा देश के सभी अल्पसँख्यक इस नए कानून से प्रसन्न हैं, क्योंकि अधिकांश लोग वक्फ बोर्ड व उसके अवैध कब्जाधारियों के आतंक से त्रस्त हैं।

स्मरण रहे कि भारत एक संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी मूल आत्मा संविधान है। किसी भी संगठन द्वारा यह कहना या संकेत देना कि उनके लिए मजहबी कानून संविधान से ऊपर है, न केवल भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, बल्कि यह लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का भी अपमान है। हम केंद्र सरकार और न्यायपालिका से अपेक्षा करते हैं कि इस पत्र प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि इसी मानसिकता ने पहले ही भारत का विभाजन कराया था। संविधान से ऊपर मजहब को रखने वाली सोच देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए भी घातक हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद पुनः यह दोहराती है कि संविधान सर्वोपरि है और किसी भी मजहबी या जातिगत संगठन को संविधान की मर्यादा को लांघने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।

vhpintlhqs2@gmail.com

बंगाल में हो रही घटना के विरोध में विहिप का धरना

बेगुसराय। विगत कुछ सप्ताह से बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य क्षेत्रों में वक्फ कानून की आड़ में हो रहे हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हिंदुओं के पलायन हिंदुओं की हत्या के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने देश भर के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर अध्यक्षता कर रहे विहिप अध्यक्ष शशि गुप्ता और विभाग मंत्री विकास भारती ने अपने संबोधन में कहा कि बंगाल में हिंदुओं पर जगह–जगह हो रहे जिहादियों के हमले पर मौन साधे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह तो कहती हैं कि हमले पूर्व नियोजित थे, जिनमें विदेशी बाँग्लादेशियों का हाथ है और यह मामला अंतरराष्ट्रीय है, किंतु फिर भी वह घटना की NIA से जांच की मांग क्यों नहीं करती। हमारा मानना है कि पीड़ित हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए और हमलावर जिहादियों को कठोर दंड मिले जिनकी संपत्ति लूटी गई है, जलाई गई है या खंडित की गई है, उसकी अविलंब भरपाई हो और राज्य में हिंदुओं को सुरक्षा मिले।

प्रांत मार्गदर्शक मंडल के सदस्य राम शंकर कश्यप और पंकज सिंह ने कहा कि किसी न किसी मुद्दे पर देशभर में विरोध प्रदर्शन तो होते ही रहता है, किंतु उन प्रदर्शनों के नाम पर हिंदुओं पर हमले और उनकी नृशन्स हत्याएँ पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में एक चलन सा बन गई है। यह सरकारी उदासीनता ऐसे अतिवादी और सामाजिक तत्वों को सत्ताधारी दल के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के बिना संभव नहीं है। अतः इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि विरोध चाहे किसी से भी हो प्रदर्शनकारी हिंदुओं को ही टारगेट क्यों करते हैं।

शुभम भारद्वाज और अमित रस्तोगी ने कहा कि मालदा से निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हिंदू समाज की दुखती रग पर मरहम लगाने या उन्हें सांत्वना देने की बात तो दूर सरकार द्वारा उन पीड़ित हिंदू बहन–बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों व अन्य लोगों की सहायता जो समाजसेवी संगठन आगे आए थे, उनको भी खाना–पानी भोजन या अन्य प्रकार की जीवन की जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहे थे, उन पर भी शासन का कहर टूट पड़ा है।

धरना उपरांत विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के नहीं रहने पर उनके प्रतिनिधि उप विकास आयुक्त से मिलकर महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें एक आग्रह किया गया है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तथा नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी से इस मामले की जांच कराई जाए।

मौके पर मंच संचालन जिला सह मंत्री रोशन मिश्रा ने किया, कार्यक्रम में बम बम सोनी, वनवासी कल्याण आश्रम के अशोक कुमार सिंह, विहिप के नगर अध्यक्ष विनोद सिंह, साजन कुमार, शंभू प्रसाद सिंह, अर्जुन पोद्दार, मनीष बिहारी, मनोज कुमार, आकाश चंद्रवंशी के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे।

subhambhardwaj1995@gmail.com

मंदिरों को भी मस्जिदों एवं चर्चों की भांति सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कानून बनाए जाएं

पटना। विश्व हिंदू परिषद का शिष्टमंडल विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे के नेतृत्व में बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री विजय सिंहा से मिला। मिलिंद परांडे जी ने आग्रहपूर्वक कुछ बिंदु पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि वर्तमान में केवल हिन्दू मंदिरों पर ही सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण है, जबकि मस्जिदें एवं चर्च स्वतंत्र रूप से उनके धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह एक असमान व अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। संविधान के अनुसार सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यदि मस्जिदें एवं चर्च सरकारी नियंत्रण से मुक्त रह सकते हैं, तो मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों ? यह नीति संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत प्रतीत होती है। हिन्दू समाज के श्रद्धालु मंदिरों के रखरखाव, पूजा–अर्चना एवं प्रबंधन के लिए स्वयं समर्थ हैं। सरकारी हस्तक्षेप से मंदिरों की मूल धार्मिक परंपराओं एवं व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न होती है।

सरकारी नियंत्रण के कारण मंदिरों की आय एवं दान सरकार के अधीन हो जाते हैं, जबकि अन्य धर्मस्थलों को इस प्रकार की किसी बाध्यता का सामना नहीं करना पड़ता। यह हिन्दू धार्मिक संस्थानों के आर्थिक अधिकारों का हनन है। मंदिर न केवल धार्मिक स्थान हैं, बल्कि भारतीय सँस्कृति एवं परंपराओं के प्रतीक भी हैं। इन्हें उनकी मूल धार्मिक व्यवस्था के अनुरूप स्वतंत्र रूप से संचालित होने देना चाहिए। विश्व हिन्दू परिषद मांग करती है कि मंदिरों को भी मस्जिदों एवं चर्चों की भांति सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कानून बनाए जाएँ।

इससे पूर्व विश्व हिन्दू परिषद के संगठन महामंत्री मा. मिलिन्द पराण्डे के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद का शिष्टमंडल बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान से भेंट

किया। बिहार के हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्ति हो, इस विषय में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया। शिष्टमंडल में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अम्बरीष जी, केंद्रीय प्रन्यासी व केंद्रीय सलाहकार समिति सदस्य डॉ आर एन सिंह, क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद जी, क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल व प्रान्त मंत्री सन्तोष जी शामिल थे।

chitranjan1964@gmail.com

विहिप और बजरंग दल ने की धनपुरा में हुए विस्फोट की उच्च स्तरीय जांच की मांग

हरिद्वार, 15 अप्रैल। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने कहा कि पुलिस चौकी से महज दो सौ मीटर की दूरी पर अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट की घटना गंभीर मामला है। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाए, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर उपचार और मेडिकल कराया जाना चाहिए था। स्थानीय पुलिस ने विस्फोट को थिनर से हुआ मामूली धमाका बताया है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल द्वारा एसएसपी से संपर्क कर उन्हें मामले की गंभीरता से अवगत कराने पर उन्होंने पुलिस टीम को मौके पर भेजा। अनुज वालिया ने दावा किया कि विस्फोट बेहद भयावह था जिससे 200 मीटर तक गंभीर नुकसान पहुँचा और गोदाम की टीन शेड को भी फाड़ दिया। घटना में घायलों के घाव बता रहे हैं कि वहाँ मामूली पटाखे नहीं बनाए जा रहे थे। बल्कि विस्फोटक पदार्थ तैयार कर वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जा रहे थे। घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की बरामदगी भी हुई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बारूद कहाँ से आया, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। इसलिए पूरे मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।

विहिप प्रदेश अध्यक्ष रविदेव आनन्द ने कहा कि हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना चिंताजनक है। इसके पीछे कोई षड़यंत्र भी हो सकता है। इसलिए पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जिसमें एनआईए को भी शामिल किया जाना चाहिए। रविदेव आनंद ने कहा कि यह एक गंभीर जांच का विषय है। इस मामले को केवल अवैध पटाखे बनाने की फैक्ट्री बताकर निपटाया नहीं जा सकता। यह देश की सुरक्षा का मामला है। इस घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो और उच्च स्तरीय जांच तत्काल प्रभाव से की जाए।

विहिप प्रचार प्रसार विभाग के प्रांत प्रमुख पंकज चौहान ने कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को कतई सहन नहीं किया जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्र को उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

pankajvhpharidwar108@gmail.com

पटना। मंदिरों को भी मस्जिदों एवं चर्चों की भांति सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कानून बनाए जाने की माँग को लेकर बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री से भेंट करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराडे तथा विहिप का शिष्टमण्डल।

चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय मठ में मठ के प्रमुख श्रील भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी जी महाराज के साथ उपस्थित विहिप अध्यक्ष मा. आलोक कुमार जी

हरिद्वार में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्रीराम जन्म कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा का आयोजन

सिलीगुड़ी, प. बंगाल में भारत रत्न पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी की जयंती के निमित्त आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराडे

चिक्कोडी, बेळगांव, उ. कर्नाटक में 'संवाद सेतु' के कार्यक्रम को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराडे

नई दिल्ली स्थित विहिप केन्द्रीय कार्यालय में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री मोहनदुर्गा संकीर्तन मण्डल के कलाकारों के साथ उपस्थित विहिप केन्द्रीय सहमंत्री सर्वश्री मनोज वर्मा जी, हरिशंकर जी

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6
email:hinduvishwa@gmail.com
website: www.vhp.org

Postal Regd. No. DL-SW-01/4031/24-26
समाचार पत्र पंजी. सं. 68516/98
प्रकाशन तिथि : 28.04.2025
प्रेषण तिथि : 29-30 (अग्रिम-पाक्षिक)

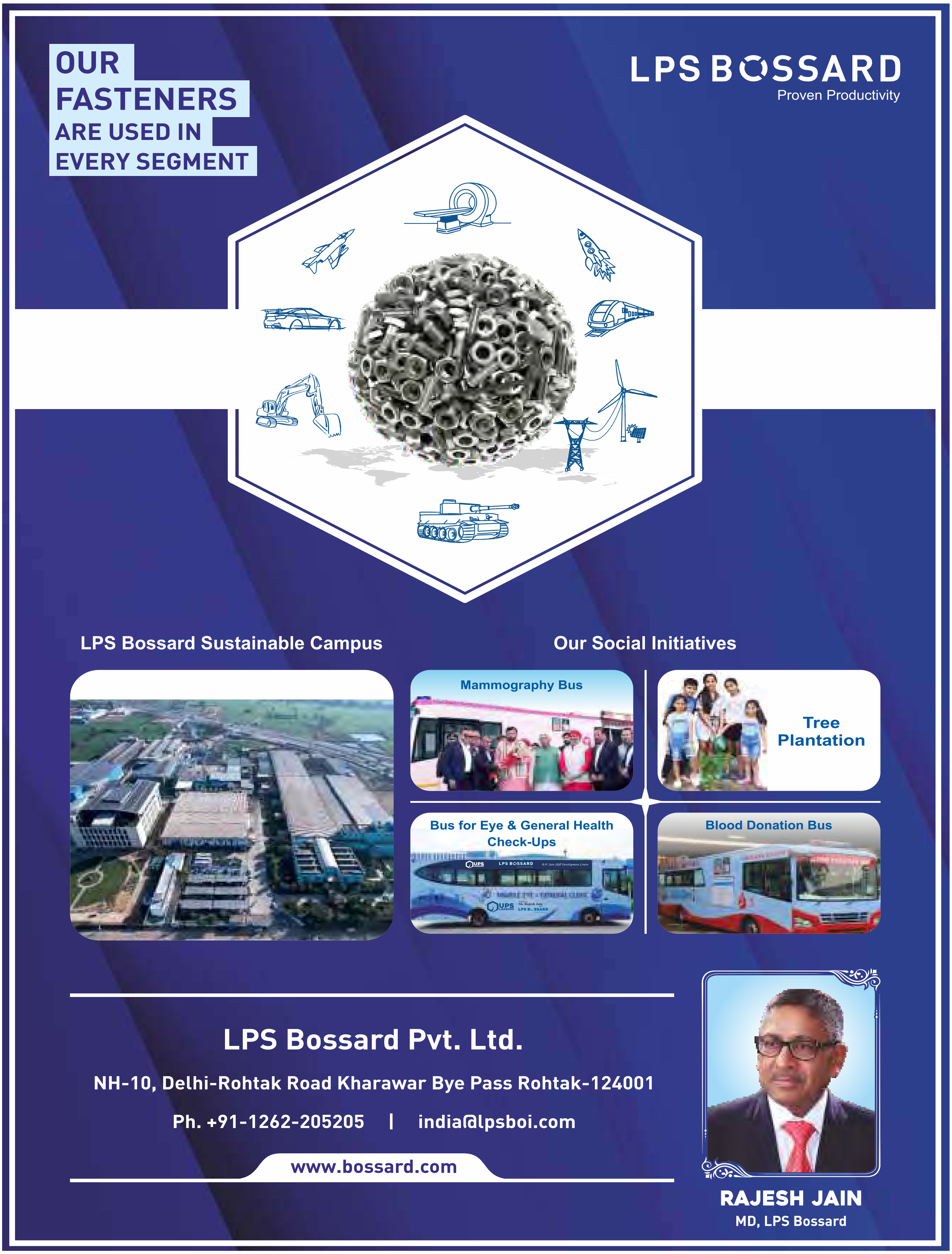

प्रकाशक व मुद्रक हरिशंकर द्वारा सचिव, साहित्य एवं दृक्श्राव्य सेवा न्यास की ओर से 'रॉयल प्रेस' बी–82, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस–1, नई दिल्ली–110020 से छपवाकर संकटमोचन आश्रम, सेक्टर–6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय शंकर तिवारी